उद्योग संवर्धन नीति-2004
एवं कार्ययोजना

(संशोधन 2007 का समावेश करते हुए)

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनॉक 24-10-2007

कमांक एफ-20-46/03/बी-ग्यारह : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21/06/2004 से जारी उद्योग संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना प्रसारित की गई थी । उक्त नीति एवं कार्ययोजना में संशोधन कर संलग्न प्रारूप अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना प्रसारित की जाती है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

24.10.07

(टी0सी0लोहनी)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0 एफ-20-46/03/बी-ग्यारह — भोपाल, दिनॉक 24-10-2007

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0/म0प्र0 ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

24.10.07

(टी0सी0लोहनी)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

1. प्रस्तावना

प्रदेश का औद्योगीकरण उत्कृष्ट प्रकार की अधोसंरचना एवं उद्योग मित्र वातावरण से संभव है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में मध्यप्रदेश का योगदान इसके समृद्ध एवं व्यापक प्राकृतिक संसाधनों की तुलना मे कम रहा है। प्रदेश के पडोसी राज्य जो, औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है, से समन्वय बनाते हुए औद्योगीकरण की नीति बनाई गई है। प्रदेश की नई सरकार की आकांक्षा है कि भविष्य में प्रदेश के विकास की दर अन्य विकसित राज्यों के समतुल्य हो। अतः मध्यप्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए आर्थिक विकास की दर बढ़ाना जरूरी है। अपेक्षित विकास दर प्राप्त करना तभी संभव होगा जब उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का विकास हो। पिछले दशक में देश में विद्युत की कमी एवं अधोसंरचना के अपर्याप्त विकास के कारण प्रदेश में पूंजी निवेश में गिरावट आई, राज्य में औद्योगीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी रही व उद्योगों में रुग्णता भी बढ़ी। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट अधोसंरचना का निर्माण, बीमार उद्योगों का पुनर्वास, नये उद्योगों को लाने के लिए अधिकाधिक सहायता एवं सुविधाएं तथा उद्योग मित्र प्रशासन उपलब्ध कराना है।

मई 1994 में घोषित औद्योगिक नीति 2003 तक प्रभावी रही। प्रस्तावित उद्योग संवर्धन नीति 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों पर प्रभावी होगी। यह नीति 1 अप्रैल 2004 से 5 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी। नई नीति के अनुसार नियमों एवं प्रक्रियाओं में सुधार होगा, इसके पूर्व के पूंजी निवेश पर तत्समय प्रचलित नीति अनुसार सुविधाएं एवं प्रकियाएं प्रभावी होंगी।

प्रस्तावित नीति का प्रारूप तैयार करते समय उद्यमियों, उद्योगपतियों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया एवं उनके विचारों तथा सुझावों को सारगर्भित रूप से सम्मिलित किया गया है।

नई औद्योगिक नीति में रोजगार के अवसर सृजित करना एक प्रमुख प्रयास होगा। प्रदेश में इस हेतु मध्यम श्रेणी के आय वर्ग के परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नई रोजगार योजना लाने का प्रयास किया गया है।

2. उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्य

- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- रोजगार की संभावनाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना।
- विश्वस्तर की अधोसंरचना विकसित कर, प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक वातावरण निर्मित करना।
- गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर संतुलित क्षेत्रीय विकास करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।
- वाणिज्यिक कर की दरों का युक्तियुक्तकरण करके प्रदेश में लगे उद्योगों को अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाना।
- स्थानीय संसाधनों एवं वर्तमान औद्योगिक आधार को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगीकरण को दिशा प्रदान करना।
- औद्योगीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- उद्योग विभाग के उपक्रमों में आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे उद्योग संवर्धन में उनकी प्रभावी भूमिका हो सके।

3. उद्योग संवर्धन हेतु रणनीति

- प्रदेश में ऐसे प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा तय रणनीति का सही मायनों में क्रियान्वयन हो सके।

- रोजगार प्राप्ति के उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए रोजगार निर्माण बोर्ड का सृजन किया गया है। जिसके अन्तर्गत रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधी योजना की नीति निर्धारण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा।

- मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन की स्थापना की जाएगी।

- औद्योगीकरण में निजी क्षेत्र की अधिकतम भागीदारी रखी जाएगी।

- निवेश प्रोत्साहन हेतु मध्यप्रदेश शासन के कार्य नियमों (बिजनेस रूल्स) में परिवर्तन तथा इन्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन एक्ट के माध्यम से "सिंगल विण्डो प्रणाली" को प्रभावी, सक्षम एवं सुदृढ़ किया जाएगा।

- औद्योगिक इकाईयों के तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- क्लस्टर्स को चिन्हित किया जाकर उनकी अधोसंरचनात्मक, वित्तीय, विपणन एवं तकनीकी कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

- लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

- सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालॉजी, आटोमोबाइल इण्डस्ट्री, फार्मास्यूटीकल, फूड प्रोसेसिंग एवं हर्बल उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर मानकर उनके विकास हेतु समुचित कदम उठाये जाएंगे।

- बीमार/बंद हो चुकी इकाईयों के पुनर्वास हेतु नियमों को सरल बनाया जाएगा तथा उनके संवर्धन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा।

4. औद्योगिक नीति–2004 की रणनीति के संदर्भ में प्रस्तावित कार्ययोजना

4.1 भाग – एक

4.1.1. उद्योग मित्र प्रशासन

4.1.1.1 **उद्योग सलाहकार परिषद** :–मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद (Advisory Council) का गठन किया जाएगा, जो कि प्रदेश के औद्योगीकरण के हित में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को सलाह एवं सुझाव देगा। मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे एवं वित्त मंत्री, उर्जा मंत्री, वाणिज्यिक कर मंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मुख्य सचिव, प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि गण इसके सदस्य होंगे। देश के विख्यात अर्थशास्त्री, उद्योगपति एवं अन्य विशेषज्ञ, सलाहकार परिषद में विशेष आमंत्रित / सदस्य बनाये जाएंगे। प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग इस परिषद के सदस्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे।

4.1.1.2 **सिंगल विण्डो क्लियरेंस के लिए साधिकार समितियों का गठनः**– म.प्र. शासन के कार्य नियमों में संशोधन कर एवं इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन एक्ट द्वारा सशक्त समितियों का गठन किया जाएगा, जो उद्योगों एवं अन्य निवेश परियोजनाओं हेतु सिंगल विण्डो क्लियरेंस जारी करेंगी। साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समयबद्ध निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सभी आवश्यक निर्णय लेने के लिये सक्षम होंगी।

अ. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति– कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित यह समिति रुपये 10 करोड़ तक की परियोजनाओं हेतु क्लियरेंस जारी करेगी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसके सदस्य सचिव होंगे। अन्य संबंधित विभागों के जिले मे पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारी इसके सदस्य होंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी।

ब. राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति रुपये 10 करोड से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं हेतु क्लियरेंस एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगी। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन इसके सदस्य सचिव एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव इसके सदस्य होंगे। मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन इस समिति का सचिवालय होगा।

स. शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति – मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त समिति 25 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं हेतु क्लियरेंस एवं दिशा–निर्देश जारी करेगी एवं निवेश हेतु रणनीति निर्धारित करेगी। यह समिति औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना में प्रस्तावित नीतियों के क्रियान्वयन जिसमें करों का युक्तियुक्तकरण, मेगा प्रोजेक्टस् को सुविधाएं एवं अन्य संबंधित मामलों पर भी निर्णय ले सकेगी। इस समिति को मंत्री परिषद की आर्थिक मामलों की उप समिति के समकक्षीय अधिकार होंगे। उद्योग मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। वित्त मंत्री, वाणिज्यिक कर मंत्री एवं मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। विचाराधीन विषयों में प्रकरण के आधार पर संबधित विभाग के मंत्री

समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन इसका सचिवालय होगा।

उपरोक्त तीनों समितियों का प्रशासनिक विभाग वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग होगा। संबंधित विभागों व एजेंसियों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्लियरेंस न करने की दिशा में समितियां स्वयमेव स्वीकृतियां/अनापत्तियां जारी कर सकेंगी। जो सभी संबंधित विभागों/ संस्थाओं पर बंधनकारी होंगी। सिंगल विण्डो प्रणाली के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनियों, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ऊर्जा, वाणिज्यिक कर, राजस्व, श्रम, उद्योग एवं स्थानीय शासन विभागों से संबंधित आवश्यक क्लियरेंस समयबद्ध रूप से जारी किये जाएंगे। राज्य प्रमुख नीति सलाहकार एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन गठित किया जाएगा। यह निगम मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का परिवर्तित रूप होगा। यह निगन स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तथा सिंगल विण्डो प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

4.1.1.3 उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्यों में, रोजगार की संभावना को अधिक से अधिक बढ़ाया जाने का उल्लेख है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रोजगार निर्माण बोर्ड का सृजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधी योजना की नीति निर्धारण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा।

1. दीनदयाल रोजगार योजना
2. प्रधान मंत्री रोजगार योजना
3. रानी दुर्गावती योजना
4. कुटीर उद्योग

जैसी योजनाएं मध्यप्रदेश रोजगार बोर्ड के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में संचालित की जावेगी।

4.1.1.4 उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय ढाँचे का विक्रेन्द्रीकरण कर संभाग स्तर पर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना की जाएगी।

4.1.2. अधोसंरचना का विकास

4.1.2.1. औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु आने वाली वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए "इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड" की स्थापना की जाएगी। इस कोष में रुपये 10 करोड़ राशि प्रतिवर्ष की दर से आगामी पांच वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध राशि का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो परियोजना अत्यधिक महत्व की होंगी। परियोजनाओं के पूर्ण होने एवं सफल क्रियान्वयन के पश्चात उक्त राशि वापस करने का प्रावधान होगा अर्थात उद्योग विकास निधि की राशि रिवाल्विंग फण्ड के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

4.1.2.2. इन्दौर के निकट विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकास कार्य को गति देकर इसमें विश्वस्तरीय अधोसंरचना निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित की जाएगी।

4.1.2.3. इण्डस्ट्रियल पार्क जैसे स्टोन पार्क, कटनी, रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स, जबलपुर एवं इन्दौर तथा क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर में उत्कृष्ट किस्म की अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

4.1.2.4 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियां यह प्रयास करेंगी कि उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाली सतत् निर्बाध विद्युत प्राप्त हो।

4.1.2.5. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु निमरानी, जिला खरगौन, जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर, बाबई–पिपरिया, जिला होशंगाबाद, बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा, मनेरी, जिला मण्डला, मालनपुर, जिला भिण्ड में फूड पार्क विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, मिल्क चिलिंग प्लांट, टेस्टिंग लेब एवं एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट के साथ अन्य आवश्यक औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हो सके।

प्रदेश में छः कृषि उत्पादों यथा आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, मैथी एवं गेहूं पर आधारित उद्योगों को भारत शासन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन योजना (AEZ) के तहत चिन्हित जिलों में प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.2.6. औद्योगिक केन्द्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेल्वे जंक्शनों से उत्कृष्ट सड़क अधोसंरचना द्वारा जोड़ा जाएगा।

4.1.2.7. प्रदेश में स्थित प्रयोगशालाओं एवं वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग औद्योगिक विकास हेतु किया जाएगा, जिससे प्रदेश के उद्योगों में तकनीकी उन्नयन तथा गुणवत्ता सुधार हो सके।

4.1.2.8. प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए वांछित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4.1.2.9. ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ औद्योगिक–सह–व्यावसायिक अधोसंरचना की उत्तम संभावना है। इन क्षेत्रों में ऐसी अधोसंरचना निजी क्षेत्र के माध्यम से निर्मित की जाएगी, जो लघु उद्यमियों के अलावा रोजगारमूलक योजनाओं के उद्यमियों द्वारा लगाये जाने वाले उद्योग, सेवा, व्यवसाय हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु भूमि आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा जिससे इस प्रयोजन के लिये विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

4.1.2.10. स्थानीय एवं नगरीय निकायों के द्वारा शहरी विकास एजेन्सियों, गृह निर्माण मण्डल आदि के माध्यम से निर्मित की जाने वाली व्यवसायिक अधोसंरचनाओं में भी स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत अधोसंरचनायें न लाभ न हानि के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

4.1.2.11. औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे विद्युत एवं जल प्रदाय इत्यादि के निर्माण हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

4.1.2.12. औद्योगिक क्षेत्रों व औद्योगिक विकास केन्द्रों में दोहरी कर प्रणाली समाप्त कर औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों का संधारण, रखरखाव जनभागीदारी एवं स्वशासी समितियों द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961, म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा पंचायत अधिनियम, 1993 में उपयुक्त संशोधन कर औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विनिर्दिष्ट प्रयोजन जैसे – संपति कर से संबंधित प्रावधानों, संपति के अंतरण पर देय शुल्क, जल निकासी, भवन नियंत्रण, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के लिये शक्तियों एवं दायित्वों को इन समितियों को सौंपा जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र सेवा समितियां नगर पालिका अधिनियम, 1961, म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, तथा पंचायत अधिनियम, 1993 के अंतर्गत बनायी गयी उपविधियों/नियमों अथवा जारी आदेशों/ अनुदेशों के अनुरूप संपति कर व अन्य करों की वसूली का कार्य एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विकास का कार्य कर सकेंगी। आंध्रप्रदेश में प्रचलित प्रणाली अनुसार स्थानीय निकाय के रूप में वसूल की गयी समस्त प्रकार के करों का 25 प्रतिशत भाग संबंधित स्थानीय निकाय को दिया जाएगा एवं 75 प्रतिशत राशि का उपयोग उद्योग क्षेत्र सेवा समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव संधारण एवं अधोसंरचना के उन्नयन हेतु प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।

4.1.2.13. औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये पृथक से स्थान चिन्हित किया जाएगा एवं उपयुक्त अधोसंरचना निर्मित की जाएगी।

4.1.2.14. भारत शासन की क्लस्टर्स योजना के अंतर्गत यथासंभव औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, टेस्टिंग सुविधाएं, प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट सुविधाएं, तकनीकी परामर्श सुविधाएं जैसी आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाएगा।

4.1.2.15 उद्योग शून्य तहसीलों में लघु उद्योग केन्द्र (Small Industrial Estates) स्थापित किये जायेंगे।

4.1.3. निर्यात संवर्धन और विदेशी पूंजी निवेश

4.1.3.1. प्रदेश में बड़े उद्योगों एवं प्रवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा सहायता के लिए मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन के माध्यम से विदेशी पूँजी निवेशकों एवं प्रवासी भारतीयों के प्रस्तावों को प्रक्रिया के अधीन तुरन्त स्वीकृतियां प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। इस हेतु फास्ट ट्रेक क्लियरेंस प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

4.1.3.2. निर्यातक उद्योगों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिससे कि भारत सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाओं का पूरा उपयोग किया जा सके।

4.1.3.3. वास्तविक निर्यातकों एवं संबंधित विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से संगोष्ठी, सेमीनार, प्रशिक्षण सत्र निरंतर आयोजित कर प्रदेश के उद्यमियों को निर्यात संभावनाओं एवं निर्यात विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। विदेशी व्यापार मेलों में प्रदेश की भागीदारी करने वाले उद्योगों एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.3.4. भारत और अन्य देशों के द्वारा स्थापित संयुक्त व्यापार व्यवसाय संघों को आमंत्रित कर प्रदेश के उद्यमियों के साथ उनका प्रभावी एवं सार्थक संवाद कायम करने की दृष्टि से सतत् जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाएंगे तथा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय और शासकीय प्रायोजित संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

4.1.3.5. उन्नत तकनीकी आयात, पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) कार्यविधियों के सम्पादन हेतु विशेष सुविधायें दी जाएंगी। उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित कराने के उद्देश्य से पेटेंट कराने पर हुए व्यय पर प्रतिपूर्ति शत–प्रतिशत दर से अधिकतम रुपये 2 लाख तक की जाएगी।

4.1.4 सार्वजनिक / निजी क्षेत्र की भागीदारी

4.1.4.1. मध्यप्रदेश के औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास में निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रित एवं प्रोत्साहित करने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

4.1.4.2. निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने के लिए प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को अनुमति दी जाएगी।

4.1.4.3. निजी क्षेत्र की भागीदारी निम्न क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रोत्साहित की जाएगी:—

- (i) औद्योगिक क्षेत्र, फूड पार्क, हर्बल पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, भारत सरकार की क्लस्टर योजना आदि का विकास एवं प्रबंधन।
- (ii) भौतिक अधोसंरचना जैसे सड़क, विद्युत, बंदरगाह इनलैण्ड कन्टेनर डिपो एवं हवाई अड्डे इत्यादि।
- (iii) सहायक अधोसंरचना जैसे बिजली, साईनेज एडवरटाईजिंग एवं सिस्टम मैनेजमेंट।

(iv) शहरीय एवं महानगरीय संयोजक अधोसंरचना जैसे भूमि एवं जल प्रबंधन, दूषित जल उपचार संयंत्र एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन आदि।
(v) सामाजिक अधोसंरचना जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि।

इस संदर्भ में समुचित विधिक एवं संस्थागत रूप से सक्षम बनाने हेतु आवश्यक वैधानिक संशोधन लाये जाएंगे।

4.1.5 वृहद्, मध्यम और लघु उद्योगों का समन्वित विकास

4.1.5.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, संचालनालय एवं अन्य संबधित विभागों द्वारा समन्वित अभियान चलाकर उद्यमियों को संभावित उद्योगों एवं विशेष प्रोजेक्टस् जैसे स्पेशल इकानामिक जोन, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एग्री एक्सपोर्ट जोन, फूड पार्कस् हाई टैक पार्क के बारे में जागरुक बनाया जाएगा तथा प्रदेश के बाहर भी यह अभियान चलाकर उद्यमियों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के विकास एवं सहायता के लिये, फील्ड एजेन्सी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रहेगी।

4.1.5.2. म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों तथा विकसित औद्योगिक विकास केन्द्रों जैसे पीथमपुर, मालनपुर, मण्डीदीप में स्थित उद्योगों के बीच वेण्डर डेव्हलपमेंट एवं लिंकेज के माध्यम से लघु उद्योगों एवं अति लघु उद्योगों में जीरो इनवेन्ट्री लेवल लाकर प्रतिस्पर्धा एवं कार्यक्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

4.1.5.3. लघु उद्योगों को निर्बाध एवं सरल वित्तीय पोषण उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को संभाग और प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

4.1.5.4. उद्योग संघों, उद्योग विकास के क्षेत्र में लगी संस्थाओं एवं विभागों तथा सफल उद्यमियों के माध्यम से लघु उद्योगों के उन्नयन से सम्बंधित व्यापक विषयों पर सतत् कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रेरणा शिविरों एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा तथा संभावित लघु उद्योगों एवं सहायक उद्योगों को चिन्हित कर उनकी जानकारी भी उद्यमियों को सुलभ कराई जाएगी। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा।

4.1.5.5. आर्थिक विकास में उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान गैर कृषि क्षेत्र से रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भागीदारी को दृष्टिगत् रखते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने, व्यावसायिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने, तकनीकी उन्नयन करने, दक्षता उन्नयन करने एवं नये बाजारों तक पहुंचने हेतु विशेष सहायता एवं सुविधायें दी जाएंगी। दीनदयाल रोजगार योजना में प्रावधान कर उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे।

4.1.5.6. विपणन गतिविधियों के विस्तार हेतु क्रेता–विक्रेता गोष्ठी, व्यापार मेलों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। लघु उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन हेतु विकास

आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत इन्दौर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर अर्बन हाट की स्थापना की जाएगी।

4.1.5.7. प्रदेश के लघु उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी तथा भण्डार क्रय नियमों को संशोधित किया जाएगा।

4.1.5.8. औद्योगिक विकास की बढ़ोत्री एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए "मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथारिटी" की स्थापना की जाएगी जो नियमित रूप से व्यापार मेलों का आयोजन करेगी एवं मेलों हेतु आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करेगी। इस संबंध में लघु उद्योग निगम द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

4.1.5.9. सूचना प्रौद्योगिकी, टैक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, कीमती पत्थर, हर्बल एवं फार्मास्यूटीकल एवं आभूषणों के क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में स्थित बड़े औद्योगिक समूहों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के प्रयास किये जाएंगे।

4.1.5.10. राज्य में स्थापित शोध तथा विकास संस्थानों को सुदृढ़ कर उनकी सेवाओं को उद्योगों से सम्बद्ध किया जाएगा। विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों के तकनीकी मार्गदर्शन हेतु इन्हें निर्दिष्ट किया जाएगा। इन संस्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी टेस्टिंग एजेन्सियों से अधिमान्यता प्राप्ति हेतु सहायता दी जाएगी।

4.1.5.11. अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी, विपणन एवं प्रबंधन कौशल में शिक्षित व शोध करने वाले संस्थानों को प्रदेश में अपनी शाखायें खोलने पर विशेष प्रोत्साहन व रियायतें दी जाएंगी।

4.1.5.12. अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों को वर्तमान व्यवस्था में पूरा लाभ न मिल पाने के कारण इस वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादक इकाईयों को शासकीय खरीदी कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

4.1.5.13 भारत सरकार के "लघु और आनुषागिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993" के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा, "मध्यप्रदेश लघु और आनुषांगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज नियम 1999" बनाये गये है। इन नियमों के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा, इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउंसिल गठित की गयी है। इसे और प्रभावी बनाया जाएगा।

4.1.6. थ्रस्ट सेक्टर एवं क्लस्टर एप्रोच

4.1.6.1. बीना रिफायनरी परियोजना को विशेष थ्रस्ट सेक्टर परियोजना मानकर डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्टस् हेतु बीना के समीप आगासोद में विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें परियोजना से संबंधित उद्योग, सेवा और व्यवसायों के लिए समन्वित अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

4.1.6.2. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए स्थानीय कच्चामाल, कुशल कर्मचारियों एवं बाजार की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर के रूप में ऐसे प्रमुख तथा सहायक उद्योगों का विकास किया जाएगा, जो एक दूसरे के साथ जुडे हों। ऐसे क्लस्टरों के लिए डेस्टिनेशन का विकास किया जाएगा, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व संतुलित क्षेत्रीय विकास भी होगा। इसके लिए नाभिकीय केन्द्र एवं क्लस्टर निम्नानुसार होंगे :–

इंदौर	–	फार्मास्यूटीकल, टैक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो–कम्पोनेंट.
भोपाल	–	इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन, बायो टेक्नोलॉजी, हर्बल उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण
जबलपुर	–	वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित, वन आधारित एवं हर्बल उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण
ग्वालियर	–	इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एण्ड कमोडिटिज, लाईट इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण
रीवा	–	रिफ्रेक्ट्रीज, चूना पत्थर एवं वनोपज
सागर	–	गौण खनिज और मुख्य खनिजों का प्रसंस्करण

इन क्लस्टर्स में विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। टैक्सटाइल उद्योग, स्टोन पार्क, खाद्य प्रसंस्करण फार्मास्यूटीकल व हर्बल एवं ऑटोमोबाईल कम्पोनेन्ट्स के लिये सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त उपलब्ध विशेष सुविधाओं के पैकेज का विवरण संलग्न परिशिष्ट क्रमशः 'एक', 'दो', 'तीन', 'चार' एवं 'पांच' में दिया गया है।

4.1.6.3. राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निम्नानुसार इण्डस्ट्रियल पार्कस् की स्थापना हेतु प्रारंभिक कार्यों को प्राथमिकता देकर पूर्ण किया जाएगा:–

इंदौर/पीथमपुर	–	एपेरल पार्क, जेम एण्ड ज्वैवलरी पार्क, साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क एवं हर्बल पार्क।
भोपाल	–	लाइफ साइंसेस इंस्टीट्यूट।
जबलपुर/कटनी	–	एपेरल पार्क और स्टोन पार्क।
रीवा/सतना	–	हर्बल पार्क
टीकमगढ़/सागर/छतरपुर	–	ग्रेनाईट पार्क

4.1.6.4. आटो. पार्ट्स, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर तथा कपड़ा उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत समझौतों के फलस्वरुप आयात शुल्क समाप्त होने से इन उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4.1.7. लॉजिस्टिक गतिविधियों का विकास

4.1.7.1. प्रदेश से समुद्रतट न लगा होने की कमी को दूर करने के लिए लॉजिस्टिक हब, कंटेनर डिपो, शीत श्रृंखला अधोसंरचना, कमोडिटी बैंक, ड्रायपोर्ट, एयर कार्गो काम्पलेक्स जैसी भौतिक अधोसंरचना विकसित कर राज्य को "लॉजिस्टिक सेवाओं के केन्द्र" के रूप में विकसित किया जाएगा।

इन्दौर (पीथमपुर) एवं ग्वालियर (मालनपुर) में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित हैं तथा भोपाल (मण्डीदीप) में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना की जा रही है, इसके विकास हेतु समस्त आवश्यक सहायता दी जाएगी।

4.1.7.2. मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा राज्य का लॉजिस्टिक मास्टर प्लान सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वित रूप से तैयार कर क्रियान्वित किया जाएगा।

4.1.7.3. लॉजिस्टिक हब्स के साथ सड़क संयोजकता सुदृढ़ की जाएगी और लॉजिस्टिक विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहन एवं सुविधायें दी जाएंगी।

4.1.8. <u>बीमार उद्योगों का पुनर्वास</u>

4.1.8.1. रुग्ण उद्योगों को चिन्हित करने की सरल प्रणाली विकसित की जाएंगी एवं जिला स्तर पर इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

4.1.8.2. बीमार औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय एवं अन्य रियायतें देने के लिए तथा बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने के लिए सुविधाओं का विशेष पैकेज एवं बीमार लघु उद्योगों के लिये पुनर्जीवन योजना तैयार की जाएगी, जो कि परिशिष्ट छः, सात एवं आठ पर अवलोकनीय है।

4.1.8.3 बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर "विशेष पैकेज" के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं में नवीन इकाई/अधिग्रहणकर्ता का उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्रों या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के ग्रोथ–सेंटर्स में भूमि हस्तांतरण शुल्क से <u>छूट</u> दिये जाने की सुविधा भी दी जावेगी।

4.1.8.4 "पॉलिसी पैकेज 2004" तथा "विशेष पैकेज" में उल्लेखित वाणिज्यिक करों के असेस्ड टेक्स के एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति की माफी संबंधी सुविधा को अधिक सुस्पष्ट करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जावेगी।

4.1.8.5 बीमार लघु उद्योगों की पुनर्जीवन योजना तथा "विशेष पैकेज" में उल्लेखित स्टेम्प ड्यूटी से छूट संबंधी सुविधा को सुस्पष्ट करते हुए ऐसी छूट विक्रय की लिखितों के साथ ही उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्रों या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के ग्रोथ सेंटर्स में लीज पर दी गई भूमि के हस्तांतरण पर दी जावेगी।

4.1.9. <u>स्वरोजगार योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन</u>

4.1.9.1. निम्न आय वर्ग के परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य रोजगारमूलक योजनाएं संचालित हैं। रुपये 1.50 लाख तक वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्गीय परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की बजाय **<u>'दीनदयाल रोजगार योजना'</u>** प्रारंभ की जाएगी ताकि बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार प्रारंभ करने में सहायता मिल सके।

4.1.9.2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना सहित सभी केन्द्र व राज्य प्रवर्तित रोजगारमूलक योजनाओं का एकल एजेन्सी क्रियान्वयन और नियम व प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके इन योजनाओं से प्रतिवर्ष 20 से 30 हजार लोगों को स्वरोजगार में लगाया जाएगा।

4.1.9.3. सभी योजनाओं हेतु एकल आवेदन पत्र प्रणाली विकसित की जाएगी तथा प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

4.1.9.4. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी/व्यावसायियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के तहत हैण्ड होल्डिंग पद्धति अपनाते हुए विशेष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान कर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे हितग्राहियों को मार्जिनमनी योजना राशि का 33 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में प्रदत्त की जाएगी। प्रतिवर्ष प्रदेश में इस योजना से न्यूनतम 5000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

4.1.9.5. रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए कामगार संघ (गिल्ड) स्थापित किये जाएंगे। ये संघ, संचालक प्रशिक्षण के साथ उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बेरोजगारों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार कर इन्हें प्रशिक्षित करेंगे व इनके कौशल प्रमाणीकरण का कार्य भी करेंगे ताकि प्रशिक्षित/कुशल मानव संसाधनों को खुले बाजार में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उद्योग विभाग में विलीन रोजगार विंग को नया रूप देकर रोजगार कार्यालयों को कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केन्द्रों को वार्षिक लक्ष्य दिये जाएंगे एवं समय-समय पर उनक मूल्यांकन किया जाएगा। रोजगार कार्यालय में संविदा सेवा उपलब्धता केन्द्र (कांट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाईडर) विकसित किये जाऐंगे।

4.1.9.6. स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत स्थापित उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें लघु व्यापार मेले में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाएंगे तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे उद्यमियों के लिए पुरस्कार योजना लाई जाएगी। प्रस्तावित मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर एथॉरिटी इस कार्य हेतु नोडल ऐजेंसी होगी।

4.1.9.7. इकाईयों की स्थापना के लिए हितग्राहियों को परामर्श व व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता कौशल विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर तक की जाएगी।

4.1.9.8. मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा औषधीय एवं सुगंधी पौधों की खेती एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ-साथ फ्लोरिकल्चर, हर्बल उत्पादन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण, वर्मीकल्चर, शहरी अवशिष्ट प्रसंस्करण आदि रोजगार संभावनापूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापना के लिए कार्य करेंगे।

4.1.9.9. प्रदेश के युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा जिससे उद्योगों में नयी पीढ़ी आ सके।

4.1.10. सेवा–व्यवसाय गतिविधियों का विकास

4.1.10.1. औद्योगिक क्षेत्रों में सेवा एवं व्यवसाय की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा चिन्हित सेवा एवं व्यवसाय की गतिविधियों जैसे कि निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण संबंधी परामर्श एवं कोरियर गतिविधियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाएंगे एवं सेवा एवं व्यावसायिक इकाईयों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों के प्रकरण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से बैंकों को उसी प्रकार अनुशंसित किये जाएंगे जैसे कि उद्योगों के प्रकरण किये जाते हैं।

4.1.11. सरलीकृत प्रक्रियायें

4.1.11.1. मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के परिपत्र एफ–ए–15/32/94 दिनांक 03.04.94 की कंडिका दो (क) के प्रावधानों के अनुसार परिशिष्ट– एक के 506 प्रकार के उद्योगों एवं कंडिका दो (ख) में वर्णित परिभाषा अंतर्गत आने वाले उद्योगों को प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/महाप्रबंधकों द्वारा आवश्यक सम्मतियां निर्बाध रूप से जारी की जाएंगी।

4.1.11.2. भारत शासन, पर्यावरण एवं वन विभाग के परिपत्र जेड–16011/192–सीपीडब्लू दिनांक 13.10.92 अनुसार 17 उद्योगों को छोड़कर अन्य लघु उद्योगों हेतु अनापत्ति पत्र के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष/समयबद्ध नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।

4.1.11.3 उद्योगों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारिक एवं नये पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले नये भूमि एवं शेड आवंटन नियम– "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2004" शीघ्र जारी किये जाएंगे।

4.1.11.4 श्रम कानूनों को सरलीकृत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जाएगा।

4.1.11.5 भारत शासन के असाधारण राजपत्र में श्रम कानून संबंधी संशोधन दिनांक 10/12/ 2003 द्वारा जारी "औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम 2003" के प्रावधानों को प्रदेश में यथावत लागू कराया जाएगा।

एम.पी.आई.आर. एक्ट को समाप्त करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

औद्योगिक विकास केन्द्रों में श्रमिकों के कल्याण हेतु मूलभूत व्यवस्थायें जैसे लेबर वेलफेयर सेंटर एवं रात्रि विश्राम गृह की व्यवस्था की जायेगी।

निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर ई.एस.आई. के अस्पताल की स्थाधना की जायेगी।

भाग – दो

4.2. सहायता एवं सुविधाएं

राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2004 अंतर्गत दी जाने वाली सहायता एवं सुविधा उन्हीं इकाईयों को प्राप्त होगी जिनके द्वारा दिनांक 01.04.2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है।

4.2.1. टर्मलोन पर ब्याज अनुदान :– राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को 5 से 7 वर्षों तक पिछड़ा 'अ' जिले में 3 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख, पिछड़ा 'ब' जिले में 4 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिले में 5 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20 लाख ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा:–

जिले की श्रेणी	पूर्व में दिये जाने वाला अनुदान (लाखों में)			प्रस्तावित अनुदान राशि (लाख में)		
	अनुदान	अवधि	छूट की दर	अनुदान	अवधि	छूट की दर
पिछड़ा 'अ'	10.00	5 वर्ष	5%	10.00	5 वर्ष	3%
पिछड़ा 'ब'	20.00	6 वर्ष	5%	15.00	6 वर्ष	4%
पिछड़ा 'स'	30.00	7 वर्ष	5%	20.00	7 वर्ष	5%
' एन.आई.बी.	40.00	7 वर्ष	5%	20.00	7 वर्ष	5%

उद्योग विहीन विकास खण्डों में यह सुविधा 'स' श्रेणी के जिलों के अनुरूप दी जाएगी।

4.2.2. निवेश पर अनुदान :– लघु उद्योगों को निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान दिया जाएगा:–

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम राशि
पिछड़ा 'अ'	15%	5.00 लाख
पिछड़ा 'ब'	15%	10.00 लाख
पिछड़ा 'स'	15%	15.00 लाख

4.2.3 अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रावधान :–

- अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के, 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- अग्रणी जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 लाख निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा पिछड़ा अ,ब,स श्रेणी के जिलों में क्रमशः 6.00 लाख, 12.00 लाख एवं 17.50 लाख होगी।

4.2.4 मेगा प्रोजेक्टस् को भूमि में रियायतें:– मेगा प्रोजेक्टस् से तात्पर्य ऐसे उद्योग से होगा जिनमें स्थायी पूंजी निवेश (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) रुपये 25 करोड़ या अधिक प्रस्तावित हो। ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर

पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार इस शर्त के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी कि परियोजना में स्थायी पूंजी निवेश 3 वर्ष की अवधि में कर लिया जाएगा। प्रवासी भारतीय व शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को, मेगा प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित निवेश सीमा रुपये 25 करोड़ से 25 प्रतिशत कम निवेश करने पर भी निम्नलिखित अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी:–

क्रमांक	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1	25 से 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2	50 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3	100 से अधिक 200 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4	200 से अधिक 500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5	500 से अधिक	प्रकरणवार

4.2.5 मेगा तथा विशेष महत्व के प्रोजेक्ट हेतु रियायती पैकेज :–

25 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन वाले मेगा प्रोजेक्ट अथवा विशेष महत्व की परियोजनाएं जिनमें आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि निहित हो, को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा राज्य के संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा प्रकरणवार विशेष आर्थिक तथा अन्य पैकेज स्वीकृत किया जाएगा।

इन परियोजनाओं में फूड एग्ड एग्रो प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन, हर्बल एवं वन आधारित उद्योगों, बॉयोटेक्नोलाजी उद्योगों को जिनमें रुपये 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश हुआ हो, उन्हें भी इस हेतु मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा।

रूपये 25 करोड़ या उससे अधिक के पूंजी वैष्ठन वाले मेगा प्रोजेक्ट में स्थापित होने वाले केप्टिव पावर संयंत्रों को स्वयं के उपयोग के लिये उत्पादित होने वाली विद्युत पर निवेश के आधार पर विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जावेगी।

एक ही स्थान पर स्थापित ऐसे उद्योग जिनमें नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एक हजार से अधिक होगी, उन्हें भी इस हेतु मेगा प्रोजेक्ट माना जावेगा। इन उद्योगों में न्यूनतम पूंजी वेष्ठन का कोई बन्धन नहीं रहेगा।

4.2.6 वेयर हाउसिंग के लिए रियायती दरों पर भूमि :–

ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक है, उनमें वेयरहाउसिंग के लिये पृथक रूप से चिन्हाकिंत झोन में आवंटन/अनुमति दी जायेगी तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास इस हेतु पृथक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, आवंटन/अनुमति दी जावेगी।

4.2.7 **परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्तिः**— उद्योगों की स्थापना हेतु तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति परियोजना लागत के लघु उद्योगों के लिए 1 प्रतिशत की दर से एवं वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को 0.5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 3 लाख होगी।

4.2.8 **आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरणः**— औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्राप्त आई.एस.ओ 9000/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अथवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4.2.9 **पेटेंट हेतु सहायताः**-- उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये दो लाख की सीमा तक की जाएगी।

4.2.10 **निजी क्षेत्रों को अधोसंरचना निर्माण हेतु रियायती दरों पर भूमिः**— निजी क्षेत्रों को उद्योग सह व्यवसायिक एकीकृत अधोसंरचना में निर्माण हेतु रियायती दरों पर विभागीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।

4.2.11 **थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायताः**— 50.00 लाख से अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालाजी, आटोमोबाइल, फार्मास्यूटीकल एण्ड हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि पर आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में लाया जाएगा तथा इन्हें विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस सेक्टर के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान के रूप में पिछड़ा 'अ' जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10.00 लाख, पिछड़ा 'ब' जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15.00 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिलों में 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 25.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2.12 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चेमाल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश में मण्डी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4.2.13 **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूटः**—

अ. ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो नवीन, विस्तार, डायवर्सिफिकेशन एवं आधुनिकीकरण के लिये ऋण प्राप्त करती हैं, को ऋण संबंधी बंधक पत्रों अनुबंध निष्पादन में लगने वाला पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी निम्नानुसार रहेगी —

जिले की श्रेणी	स्टाम्प ड्यूटी		पंजीयन शुल्क	
	लघु उद्योग	वृहद् एवं मध्यम	लघु उद्योग	वृहद् एवं मध्यम
पिछड़ा 'ब'	100 % छूट	50 % छूट	1 रु.प्रति हजार	सामान्य दर का 50%
पिछड़ा 'स'	100 % छूट	100 % छूट	1 रु.प्रति हजार	1 रु. प्रति हजार
उद्योग विहीन विकास खण्ड	100 % छूट	100 % छूट	1 रु.प्रति हजार	1 रु. प्रति हजार

ब. औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों की भूमि एवं शेड के पट्टाभिलेख पर स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रव्याजी की दर पर लिया जाएगा।

स उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में केवल हस्तांतरण शुल्क के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क लिया जाएगा। स्वामित्विक/ भागीदारी इकाईयों में मूल आवंटियों के निकटस्थ रक्त संबंधी (पति/पत्नि/ माता/पिता/ पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/पोते/पोती) को भूमि/भवन का अंतरण हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे प्रकरणों में कोई हस्तातंरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। लीज डीड में तदानुसार संशोधन किया जाएगा। ऐसे संशोधन हेतु मात्र रुपये 1000/– स्टाम्प डयूटी व रुपये 100/– पंजीयन शुल्क लिया जाएगा।

द. वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा अधिग्रहित बंद औद्योगिक इकाईयों एवं बीआईएफआर अथवा परिसमापक को संदर्भित बीमार/बंद इकाईयों के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ किया जाएगा।

इ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित रुग्ण तथा बंद उद्योगों के हस्तांतरण/विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ किया जाएगा।

फ. यदि किसी औद्योगिक इकाई का वर्तमान प्रबंधन, विगत पांच वर्षों में से तीन वर्षों में उक्त इकाई की स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक पर संचालन करने में सक्षम नहीं रहा है एवं बेहतर क्षमता उपयोग हेतु "On going Concern" के रूप अन्य उद्यमी को विक्रय कर देता है अथवा किसी अन्य कम्पनी द्वारा उक्त इकाई को संविलियन (Merger) या एकीकरण (Amalgamate) कर लिया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेस रुपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा।

4.2.14 निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना पर अनुदान :– अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्क एवं हाइटेक पार्क को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। निजी क्षेत्रों द्वारा विकसित किये जानेवाले औद्योगिक पार्क के स्थापना/विकास व्यय की प्रतिपूर्ति 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये तक दिया जाएगा । बशर्ते कि विकसित होने वाले पार्क में न्यूनतम 100 इकाईयों स्थापित हों एवं इसमें 2500 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सेवा नियोजन हो। यह प्रतिपूर्ति औद्योगिक पार्क में विकास करने वाली संस्था को योजना स्वीकृति के 5 वर्ष की समय सीमा के अंदर उल्लेखित शर्त की पूर्ति होने पर देय होगा।

4.2.15 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता :–

- रुपये 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को उनके द्वारा जमा किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर दिये गये वाणिज्यिक कर सम्मिलित नहीं हैं) की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के रूप में दी जाएगी। यह सहायता आगामी वर्ष के टैक्स में समायोजित की जा सकेगी। इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जाएगा। यह अग्रणी जिलों में 3 वर्ष के लिए एवं पिछड़े जिलों में 5 वर्षों के लिए दी जाएगी। सहायता राशि स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।
- रुपये 10 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन करने वाली इकाईयों को उनके द्वारा जमा किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर राशि (जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर दिये गये वाणिज्यिक कर सम्मिलित नहीं हैं) की 75 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के रूप में निम्नानुसार दी जाएगी। यह सहायता आगामी वर्ष के टैक्स में समायोजित की जा सकेगी। इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जाएगा।

क्रमांक	जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थायी पूंजी वेष्ठन (रुपये करोड़ में)	सहायता की अवधि
1.	अग्रणी जिला	25	3 वर्ष
2.	पिछड़ा जिला 'अ'	20	5 वर्ष
3.	पिछड़ा जिला 'ब'	15	7 वर्ष
4.	पिछड़ा जिला 'स'	10	10 वर्ष

सहायता राशि स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिये उपरोक्त सहायता केवल "आईटी पार्क" में ही उपलब्ध कराई जाएगी अन्यत्र नहीं।

पात्र उद्योगों को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के साथ–साथ लागत पूंजी अनुदान योजना तथा ब्याज अनुदान योजना की सुविधा भी प्राप्त होगी।

4.2.16 **प्रवेश कर** :– नई औद्योगिक इकाईयों को प्रथम कच्चे माल के क्रय दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4.2.17 प्रदेश में नये जिलों के पुनर्गठन के दृष्टिगत सुविधाओं हेतु जिले का श्रेणीकरण नये सिरे से किया जाएगा।

4.2.18 विगत वर्षों में हुए औद्योगीकरण को ध्यान मे रखते हुए उद्योगविहीन विकासखण्डों को पुनः चिन्हित किया जाएगा।

4.2.19 पूर्व स्थापित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों द्वारा क्षमता विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अथवा रूपये 50.00 करोड़ न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश, किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन एवं पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान अनुदान/सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रकार स्थापित लघु उद्योग इकाईयों द्वारा पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश (जो रूपये 25.00 लाख से कम नहीं हो) किये जाने पर नई इकाईयों के समान अनुदान/सुविधायें प्राप्त होगी।

फार्मास्युटिकल लघु उद्योग द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में अतिरिक्त रूपये 10.00 लाख या पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत, जो अधिक हो, निवेश करने पर नये उद्योग की पात्रता अनुसार निवेश पर अनुदान प्राप्त होगा। (नवीन प्रावधान)

उक्त संशोधन, उद्योग संवर्धन नीति 2004 के लागू होने के दिनांक, 01 अप्रैल, 2004 से प्रभावशील होंगे। करों की सुविधा के प्रकरणों में यदि राशि इकाई द्वारा जमा की जा चुकी है तो, वह वापस नहीं होगी। इकाई को जो मूल अवधि की कराधान सुविधा देय है, वह इकाई द्वारा करों की वापसी के पश्चात की अवधि में देय होगी।

इकाईयों द्वारा अपनी स्थापित क्षमता/पिछले 3 वर्षों में किये गये औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, से अधिक उत्पादन करने पर ही सुविधा उपलब्ध होगी। इस शर्त की पूर्ति नही होने पर इकाईयों को विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4.2.20 प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होंगी यथा, स्लॉटर हाऊस एवं मीट पर आधारित उद्योग, सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा का विनिर्माण, फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न, सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण, मदिरा, तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधारित विनिर्माण, परम्परागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा अन्य अपात्र उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जाएगा। आवश्यक होने पर समय--समय पर यह सूची संशोधित की जाएगी।

4.2.21. एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 2 लाख प्रतिपूर्ति, अनुदान के रूप में देय होगा।

4.3 केप्टिव पॉवर संयंत्र को विद्युत शुल्क एवं उपकर में छूट :–

4.3.1 **केप्टिव पावर संयंत्र को विद्युत ड्यूटी में छूट:–** ऐसे केप्टिव पावर संयंत्र, जिनकी स्थापना के लिये 1 वर्ष के भीतर प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है एवं निम्नानुसार अवधि में विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, तो उन्हें पांच वर्ष तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जाएगी–

क्रमांक	विद्युत संयंत्र का प्रकार	विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि
1	गैस आधारित संयंत्र	दो वर्ष में
2	हायडेल/थर्मल/अन्य प्रकार के विद्युत संयंत्र	तीन वर्ष में

यह छूट केवल स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादित विद्युत पर प्राप्त होगी।

4.3.2 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी एवं संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा केप्टिव पावर जनरेशन को व्हीलिंग की अनुमति विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों एवं नियमों के आधार पर दी जावेगी। अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत पर व्हीलिंग चार्जेस में 4 प्रतिशत का अनुदान शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

4.3.3 सभी केप्टिव पावर संयंत्रों को विद्युत उत्पादन एवं उसके स्वयं के उपयोग पर विद्युत उपकर से मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2007 के तहत पूर्ण रूप से छूट प्राप्त होगी। राशि की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग के द्वारा की जावेगी।

4.3.4 निजी क्षेत्र में अपरम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विद्युत शुल्क एवं उपकर की छूट परियोजना की कमिशनिंग से 5 वर्षों के लिये सशर्त होगी। राशि की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग के द्वारा की जावेगी।

5. कार्ययोजना अनुसार परिशिष्ट

परिशिष्ट–एक

5.1 टैक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष पैकेज

मध्यप्रदेश शासन टैक्सटाइल क्षेत्र के विकास हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित करता है:–

- प्रदेश में उपलब्ध सामग्री एवं संसाधनों के उपयोग में अधिकतम मूल्यवर्धन हासिल करना।
- टैक्सटाइल उद्योग के विभिन्न घटकों को विश्व व्यापीकरण से निकट भविष्य की चुनौती हेतु सक्षम बनाना।
- रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार योजनाएं क्रियान्वित की जावेगी :–

5.1.1. रेडीमेड गारमेन्ट एवं मेडअप उद्योगों में सर्वाधिक मूल्य संवर्धन होता है। अतः इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं यथा ऐपेरल पार्क योजना एवं टीसीआईडीएस (Textile Centre Infrastructure Development Scheme) के अन्तर्गत प्रदेश के उपयुक्त स्थानों में एपेरल पार्क / गारमेन्ट काम्पलेक्स स्थापित किये जाएंगे। उक्त योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अंशदान की पूर्ति, उद्योग विभाग / औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / निजी निवेशकों के माध्यम से किया जाएगा।

5.1.2. रेडीमेंट गारमेन्ट, मेडअप एवं पावरलूम उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर उपलब्ध है। अतः इस क्षेत्र की इकाईयों का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें यथासंभव संगठित कर आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जाना उपयुक्त होगा। इसके लिए भारत सरकार उक्त कंडिका 1 में उल्लेखित योजनाओं के साथ–साथ TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) एवं ग्रुप वर्कशेड योजना का लाभ लिया जाएगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न स्थलों को विकसित किया जाएगा।

5.1.3. टेक्सटाइल उद्योग के अधिक विकास की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.1.4. प्रदेश में इन्दौर एवं जबलपुर में एपेरल पार्क की स्थापना की जावेगी एवं इन स्थानों पर गारमेन्ट काम्पलेक्स भी विकसित किये जाएंगे। एपेरल पार्क / गारमेन्ट काम्पलेक्स में स्थापित होनेंवाली इकाईयों को औद्योगिक नीति 2004 में उल्लेखित सुविधाएं उपलब्ध होगी।

5.1.5. एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से राज्य में एक एपेरल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जावेगी, जिससे प्रशिक्षित श्रमिक रेडीमेड वस्त्रोद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण हेतु महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.1.6. प्रदेश में टैक्सटाइल उद्योग को डिजाइन डेवलपमेंट के संबंध में जानकारी/फोरकास्ट प्रदान करने लिये राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाईनिंग, टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु प्रयास किये जाएंगे ताकि प्रदेश का वस्त्र उद्योग विश्वव्यापी स्पर्धा में खड़ा रह सके। इस विषय पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समन्वय की कार्यवाही की जाएगी।

5.1.7. पावरलूम सेक्टर को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन कर उसके समन्वित विकास हेतु संचालक, लघु उद्योग को संचालक, पावरलूम बनाया जाएगा।

5.1.8. पावरलूम क्षेत्र में आधुनिकीकरण को गति प्रदान करने हेतु असंगठित पावरलूम बुनकर इकाईयों हेतु भारत सरकार की ग्रुप शेड योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता से बुरहानपुर, इन्दौर एवं उज्जैन में आधुनिक पावरलूम क्लस्टर स्थापित किये जाएगे।

5.1.9. TCID के अन्तर्गत भारत शासन से आवश्यक सहायता प्राप्त कर औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के माध्यम से, पॉवरलूम क्लस्टर मे अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। क्लस्टर में स्थापित इकाईयों द्वारा आधुनिक लूम प्राप्त करने हेतु भारत शासन की TUFS के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं का लाभ भी उठाया जा सकेगा।

5.1.10. निर्मित वस्त्रों को फैशन/मांग के अनुरूप रंगाई व छपाई हेतु आवश्यक प्रोसेस हाउस प्रदेश मे उपलब्ध नही है। परिणामस्वरुप प्रदेश मे निर्मित ग्रे वस्त्रों को प्रोसेस करवाने के लिए अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। अतः प्रदेश में आधुनिक प्रोसेस हाउस स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र को प्रोसेस हाउस स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से निवेशकों को आवश्यकतानुसार सुविधाएं देने हेतु मेगा प्रोजेक्टस् के लिए गठित समिति के द्वारा प्रकरण विशेष पर अनुशंसा की जावेगी।

5.1.11. प्रदेश में स्थापित/विकसित एपेरल पार्क, गारमेन्ट काम्पलेक्स तथा ग्रुप वर्कशेड योजनान्तर्गत स्थापित/स्थानांतरित होने वाली इकाईयों को राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना एफ क्र. 28–38–01–सोलह–ब(i), ब(ii), ब(iii), ब(iv) ब(v) दिनांक 19.05.2003 के अन्तर्गत स्पेशल इकॉनामिक जोन हेतु घोषित श्रम कानूनों संबंधित प्रावधान परियोजना/क्षेत्र विशेष के लिए लागू किया जाएगा।

5.1.12. पावरलूम, रेडीमेड वस्त्र एवं निटवीयर उद्योग तथा उनकी आनुषांगिक इकाइयों को उनके कार्य को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारण की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए खण्ड दर (पीस दर) के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने हेतु श्रम कानूनों से मुक्त रखा जाएगा।

5.1.13. टैक्सटाइल उद्योग को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली कपास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों को उनकी मान्यता प्राप्त संगठनों के सहयोग से केन्द्र शासन प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहित किया

जाएगा। प्रदेश में स्थित कपास मंडियों तक आवागमन की सुविधा हेतु पक्की सड़कों का निर्माण तथा कपास भण्डारण हेतु पक्के प्लेटफार्म का निर्माण मण्डी बोर्ड निधि से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

5.1.14. टैक्सटाइल उद्योग को प्रदेश में उत्पादित यार्न खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विनिर्माण में उपयोग होने वाली यार्न पर विक्रय कर में 2 प्रतिशत का सेट ऑफ (Set off) दिया जाएगा। प्रदेश के बाहर से निर्माण हेतु क्रय किये यार्न पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा।

5.1.15. उद्योग आयुक्त कार्यालय में टैक्सटाइल सेल, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गठित किया जाकर, उद्योग आयुक्त को प्रदेश के लिए वस्त्र आयुक्त भी घोषित किया जाएगा।

5.1.16. प्रदेश के मालवा क्षेत्र को विशेष रूप से टैक्सटाइल झोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में भारत सरकार/प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एपेरल पार्क/गारमेन्ट काम्पलेक्स/पावरलूम क्लस्टर्स स्थापित किये जाएंगे। वस्त्र आयुक्त द्वारा इस क्षेत्र में जैविक खेती के विकास, अधोसंरचना के विकास तथा आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

5.1.17. ऐपेरल एवं गारमेंटस उद्योगों के उत्पादों के विपणन की सुविधा की दृष्टि से वस्त्र आयुक्त द्वारा नये बाजार की पहचान एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का बाजार अंश बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। इन उद्योगों की सुविधा के लिए बैकवर्ड लिंकेजेस स्थापित किये जाएंगे।

5.1.18. प्रदेश में टैक्सटाइल उद्योग से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण व सेक्टर से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के समन्वय व समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टैक्सटाइल संवर्धन समिति जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी, का गठन किया जाएगा। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	—	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग	—	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त	—	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, कृषि	—	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर	—	सदस्य
6.	उद्योग आयुक्त	—	सदस्य सचिव

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एवं टैक्सटाइल क्षेत्र केविशेषज्ञों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में बैठक में बुलाया जा सकेगा।

5.2 "स्टोन पार्क" में स्थापित होने वाले उद्योगों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं

मध्यप्रदेश में अच्छी गुणवत्ता के मार्बल की उपलब्धता को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन कटनी के हरदुआ क्षेत्र में स्टोन पार्क की स्थापना करेगा, तत्पश्चात एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र लमतरा में भी इसी प्रकार का स्टोन पार्क विकसित किया जाएगा। "स्टोन पार्क" में स्थापित होने वाली इकाईयों को सामान्य उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के अतिरिक्त निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :–

5.2.1. भूमि आवंटन में प्रथम दस इकाईयों को प्रब्याजी से निम्नानुसार छूट दी जावेगीः–

प्रथम पांच इकाईयां	50 प्रतिशत
अगली पांच इकाईयां	25 प्रतिशत

(भू–भाटक, विकास शुल्क एवं संधारण व्यय निर्धारित दर से ही देय होगा।)

5.2.2. प्रब्याजी की पूर्ण दर का किश्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी जिसकी अधिकतम अवधि भूमि आवंटन से तीन वर्ष की होगी। यह छूट प्रब्याजी के भुगतान से आंशिक छूट की पात्र इकाईयों से नहीं होगी।

5.2.3. "उत्खनन पट्टे" हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण के लिये कलेक्टर, जिला कटनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा "सिंगल विण्डो प्रणाली" के माध्यम से किया जाएगा। प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर इस समिति के संयोजक होंगे।

5.2.4. पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए "उत्खनन पट्टे" को सम्बन्धित वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखे जाने हेतु अनुमति दी जाएगी।

5.2.5. भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, में खनिजों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जो प्रदेशों में पाए जाने वाले खनिजों के उत्खनन एवं उन पर आधारित उद्योगों के बारे में तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित जानकारी तथा अन्य वांछित मार्गदर्शन नियमित रूप से उद्यमियों को उपलब्ध कराएगा।

5.2.6. स्टोन पार्क के उत्पादों के विपणन हेतु प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।

5.2.7. कटनी को मार्बल के राष्ट्रीय स्तर के विपणन मण्डी के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जाएगा।

5.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाएं/रियायतें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास कृषि एवं अन्य फसलों के स्थानीय मूल्य संवर्धन के अवसरों में वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को त्वरित विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन सुविधाएं एवं रियायतें दिया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं से स्थानीय तौर पर क्रमिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। जिसका लाभ उत्पादकों तक पहुंच सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, अन्य सामान्य उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे– ब्याज अनुदान, निवेश पर अनुदान, मेगा प्रोजेक्ट्स को निःशुल्क भूमि, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा, प्रवेश कर, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण, पेटेंट हेतु सहायता, थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, प्रवेश कर में छूट, विस्तार/डायवर्सीफिकेशन, तकनीकी उन्नयन पर किये गये पूंजी निवेश पर अनुदान सुविधाओं/रियायतों के अतिरिक्त निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध होंगी :--

सुविधाएं :–

5.3.1 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति** : खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ., एगमार्क, बी.आई. एस. यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि रु. एक लाख सीमा तक की जाएगी।

5.3.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुसंधान एवं शोध कार्यों हेतु अनुदान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक व्यय के 10% की दर से अधिकतम रु. एक लाख तक की अधिकतम प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.3.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की लघु उद्योगों की श्रेणी में विपणन सहायता हेतु अनुदानः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की लघु उद्योग श्रेणी में उत्पादन को लोक प्रिय बनाने केलिए, अपने ब्रान्ड की प्रसिद्धि के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित दिया जाएगा। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/सेमिनार में स्टॉल लगाने हेतु अथवा इस स्तर पर किये गये विज्ञापन की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय करने के उपरांत की जाएगी:--

	(राशि रुपये हजार में)
प्रथम वर्ष	75
द्वितीय वर्ष	50
तृतीय वर्ष	25

5.3.4. फूड पार्कस् की अधोसंरचना के उपयोग हेतु, फूड पार्कस् में स्थापित इकाईयों के पश्चात स्थानीय कमजोर वर्गों के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.3.5 राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होंगी यथा, स्लाटर हाउस, एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा एवं परम्परागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जाएगा।

5.3.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चे माल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश मे मण्डी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

5.3.7 परम्परागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे दाल मिल, राईस मिल, आईल एक्सपेलर, पोहा मिल आदि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं नहीं दी जाएगी। आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जाएगी।

5.3.6 फूड पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष पैकेज

5.3.6.1 प्रदेश के निमरानी, जिला खरगौन, जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर, बाबई–पिपरिया, जिला होशंगाबाद बोरगांव जिला छिंदवाड़ा, मनेरी जिला मण्डला, मालनपुर, जिला भिण्ड फूड पार्क्स एवं शासन द्वारा घोषित अन्य फूड पार्क में उद्यमियों को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि का आवंटनः फुडपार्क में स्थापित उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम दस उद्योगों को फुड पार्कस् की सामान्य प्रब्याजी की दर पर 50 प्रतिशत रियायत दी जावेगी। शर्त यह होगी कि, भू–आवंटन के नियमानुसार अवधि में उद्योग स्थापित करना होगा। समयावधि में उद्योग स्थापित कर, उत्पादन प्रारंभ कर देने पर भूमि आवंटन हेतु जमा की गयी प्रब्याजी की 50 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी। पूर्व में शत–प्रतिशत प्रब्याजी की राशि भू–आवंटन हेतु जमा कराना होगी।

5.3.6.2 फूड पार्क में स्थापित फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का पूंजी निवेश यदि रुपये 10.00 करोड़ से कम है तो भी उन्हें उद्योग निवेश संवर्धन सहायता दी जाएगी।

5.3.6.3 फूड पार्क में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चामाल के रूप में क्रय किये जाने वाले कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।

5.3.6.4 फूड पार्क में स्थापित होने वाली सीजनल रूप से कार्य करने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को सीजनल उद्योग घोषित कर श्रम नियमों में छूट दी जायेगी एवं विद्युत बिल के न्यूनतम भुगतान से संबंधित नियमों में छूट दी जाएंगी।

5.3.6.5 फूड पार्क में स्थापित उद्योगों द्वारा कच्चे माल के क्रय पर लिये गये विक्रय कर को उत्पादित वस्तु के विक्रय कर मे समायोजित कर इकाई द्वारा दिये जाने वाले टैक्स में छूट दी जाएंगी।

5.3.6.6 कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग जैसी गतिविधियों पर फूड पार्क के आस–पास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग वहां स्थापित उद्योगों की मांग के अनुसार योजना बनाकर काफन्ट्रेक्ट फार्मिंग कराने हेतु प्रयास करेंगे।

5.3.6.7 फूड पार्क मे उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सहयोग प्रदान करेंगे।

5.3.6.8 फूड पार्क में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों (कंसलटेंट) की सेवाएं ली जाएंगी। जो पार्क को विज्ञापित कर उद्यमियों को उद्योग को स्थापित करने में सहयोग करेंगे।

टीप –खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों हेतु नीति लागू होने के दिनांक से उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्रमांक 5.3 (परिशिष्ट–तीन) अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधाओं/रियायतें संबंधी प्रावधान समाप्त हो जावेंगे।

5.4 औषधि एवं हर्बल उद्योग के लिए सहायता पैकेज

5.4.1. खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन इकाई का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिये इन्दौर में पूर्ण शक्तियों तथा अधिकारों से युक्त क्षेत्रीय कार्यालय क्रियाशील किया जाएगा।

5.4.2. औषधि उद्योगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य औषधि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य शासन, औषधि उद्योग/व्यवसायियों तथा चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

5.4.3. औषधि उद्योग में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुड मेन्यूफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस (जी.एम.पी.) प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तकनीकी सेवाओं में हुए व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.4.4. राज्य में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु प्रयास किये जाएंगे।

5.4.5. लघु उद्योग श्रेणी की औषधि इकाईयों को नवीन मशीनरी एवं उपकरण स्थापित करने के फलस्वरूप विद्युत उच्चतम मांग की गणना में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमानुसार किया जाएगा।

5.4.6. स्टोर परचेस रूल्स के अंतर्गत खरीदी हेतु प्रदेश की औषधि उत्पादन की लघु उद्योग इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.4.7. प्रदेश औषधि उद्योग में तकनीकी उन्नयन तथा गुणवत्ता सुधार हेतु सिडबी की आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत ऋण सुविधा एवं क्रेडिट लिंक केपिटल सबसिडी स्कीम हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा।

5.4.8. औषधि एवं हर्बल उत्पादों के निर्माताओं को लायसेंसिंग एथारिटी एवं अन्य विभागों से त्वरित कार्यों हेतु इसकी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

5.4.9. औषधि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.4.10. औषधि उत्पादों को अन्य देशों में लगने वाले पंजीयन शुल्क पर भारत शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश के उद्योगों को इसका लाभ मिल सके इस हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा।

5.4.11. हर्बल उद्योगों हेतु भोपाल, सागर में टेस्टिंग लेब केन्द्र शासन की योजनान्तर्गत स्थापित कराई जाएंगी। राज्य शासन द्वारा अपना अंश अधिकतम 25.00 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।

5.4.12. निर्यात प्रोत्साहन हेतु हर्बल उद्योगों के लघु उद्यमियों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता आगामी 3 वर्षो तक उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 50.00 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया जाएगा।

5.4.13. निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के हर्बल उत्पादों को निर्यात करने हेतु उस देश में लगने वाले पंजीयन शुल्क की केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति

राज्य शासन द्वारा की जाएगी। यह योजना प्रथम तीन वर्ष के लिये होगी, जिसमें अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष लगभग 25.00 लाख रुपये होगा।

5.4.14. हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु संभागीय स्तर पर जैसे– रीवा, जबलपुर आदि के स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर का मेला आयोजित किया जाएगा। जिससे उत्पादकों को सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा।

5.4.15. हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये जहां इन उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएं है। वहां एकीकृत एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना विकसित करने के उद्‌देश्य से "हर्बल पार्क" व "डिमोन्सट्रेशन सेंटर" विकसित किए जाएंगे।

5.4.16. प्रदेश में हर्बल व आयुर्वेद उत्पादों पर आधारित उद्योगों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष प्रदेश के दो स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

5.4.17. औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ एवं मध्यप्रदेश ट्रेड एवं फेसिलिटेशन कारपोरेशन के मध्य "एम.ओ.यू." किया जाएगा।

5.4.18. हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलों में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी "अ" की तरह ब्याज अनुदान निवेश पर अनुदान, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जावेगी।

5.4.19. हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योगों का पूंजी निवेश यदि दस करोड़ रुपये से कम है किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो भी उद्योग संवर्धन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

5.4.20. प्रदेश में स्थापित/विकसित होने वाले हर्बल पार्क एवं हर्बल व आयुर्वेद आधारित उद्योगों हेतु राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना एफ क्रमांक 28–38–01 सोलह ब(i), ब(ii), ब(iii), ब(iv), ब(v) दिनांक 19.5.03 के अंतर्गत स्पेशल इकॉनामिक जोन हेतु घोषित श्रम कानूनों संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

5.4.21. हर्बल व आयुर्वेद आधारित उद्योगों को फर्म के नाम परिवर्तन, पार्टनर जोड़ने , कोलेब्रेशन करने, पुनर्गठन करने लीजडीड में संशोधन होने पर लगने वाली स्टाम्प व पंचायत शुल्क तथा ऋण लेने हेतु वित्तीय संस्थाओं से अनुबंध करने हेतु लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 3 वर्ष के लिये छूट दी जाएगी।

5.4.22. लघु वनोपज पर आधारित निम्न प्रकार की औद्योगिक इकाईयां, थरस्ट सेक्टर में सम्मिलित रहेंगी। ये इकाईयां हैं (1) हर्बल डाइट्री सप्लीमेंट (2) हर्बल कॉस्मेटिक तथा नैचुरल प्रोडक्ट (3) हर्बल औषधियां (4) शैलाक (Shallac) (5) शहद (6) मूल्य संवर्धित बॉस के उत्पाद (7) रेशे (Fibre) एवं इनके मूल्य संवर्धित उत्पाद (8) शाक् रंग (Veg. Dyes) (9) अखाद्य तेल (Non-Edible Oil) से बना बॉयोडीजल (10) वेटेनरी फार्मेलिटिकल और न्यूट्रासिटिकल उत्पाद। आवश्यकतानुसार समय–समय पर यह सूची मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ से परामर्श करके संशोधित की जा सकेगी।

5.5 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स हेतु पैकेज

5.5.1 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग एवं व्यवसाय पर अधिरोपित वाणिज्यिक कर की दरों का अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों मे प्रचलित दरों के समतुल्य युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

5.5.2 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल जैसे स्टील पर अधिरोपित प्रवेश कर की दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

5.5.3 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए भारत सरकार की इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन योजना के अंतर्गत पीथमपुर, जिला धार में विशेष क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग रुपये 50 करोड़ के निवेश से आटोमोबाइल कंपोनेंटस हेतु अधोसंरचना एवं कॉमन फेसिलिटीज का विकास किया जाएगा।

5.6 बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का "विशेष पैकेज"

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आय.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर (सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत किया गया क्रय भी मान्य होगा) बीआईएफआर द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एमपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने पर "**विशेष पैकेज**" के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :–

5.6.1 गैर वित्तीय :–

5.6.1.1 प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने में शासन का श्रम विभाग हर संभव मदद करेगा, जिससे उद्योग का संचालन सुचारु रुप से चले।

5.6.1.2. शासन के विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत उद्योग विभाग द्वारा यथोचित सहायता दी जावेगी।

5.6.1.3. आवश्यकतानुसार पुनर्वासित इकाई को सहायता उपक्रम घोषित किया जाएगा।

5.6.2 वित्तीय :–

5.6.2.1 कंडिका अंतर्गत प्रावधानित है कि अधिग्रहण की जाने वाली इकाई को पूर्व में स्वीकृत, वाणिज्यिक कर (विकय कर, प्रवेश कर एवं कय कर) की छूट/आस्थगन की सुविधा अधिग्रहण दिनांक से पात्रता की शेष अवधि के लिये उपलब्ध रहेगी। सुविधा देने हेतु उद्योग विभाग द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.6.2.2 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता पात्रतानुसार दी जाएगी।

5.6.2.3 यदि अधिग्रहित इकाई पर वाणिज्यिक करों (विकय कर, प्रवेश कर एवं कय कर) का देय बकाया हो तो अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में वास्तविक वाणिज्यिक कर अर्थात् असेस्ड टैक्स राशि, एक मुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किया जायेगा अन्यथा बकाया वाणिज्यिक कर की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से 6 अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान मे विलंब होता है तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

"बकाया वाणिज्यिक कर की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जमा करने तथा

पब्लिक लि0 कम्पनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उलपब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक कम्पनी के प्रबंध संचालक अथवा मेनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किये जाने की सुविधा का लाभ, परिसम्पत्तियों (Assets) पर एक ही बार प्राप्त होगा।

5.6.2.4. यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे नवीन इकाई मान्य कर, नवीन इकाई को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

(अ) स्थायी पूंजी निवेश की गणना पुनर्वासित स्थायी के पुराने स्थायी आस्तियों का वह ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) लिया जाएगा, जो इकाई को बीआईएफआर द्वारा बीमार घोषित किये गये दिनांक को था।

(ब) यदि इकाई क्रय कर अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रबंधन परिवर्तन के फलस्वरूप ली जाती हे तो उसमें निहित स्थायी पूंजी निवेश की गणना के लिये क्रय मूल्य को मान्य किया जाएगा।

5.6.2.5 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इकाई के बंद रहने की अवधि में लगाये गये न्यूनतम मांग शुल्क को माफ किया जाएगा, परन्तु इकाई द्वारा यदि पूर्व में यह शुल्क जमा किया गया है, तो इसकी वापसी या आगे समायोजन नहीं दिया जाएगा।

5.6.2.6 यदि इकाई के अधिग्रहण के तीन माह की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के बकाया वास्तविक बिल को एकमुश्त जमा किया जाता है तो बिल भुगतान पर होने वाले विलम्ब के कारण लगाये गये पेनल चार्जेस को पूर्णतः माफ किया जाएगा, अन्यथा वास्तविक देयक की राशि (पेनल चार्जेस सहित) को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.7 यदि अधिग्रहित इकाई का विद्युत बिलों के भुगतान न करने के कारण या विद्युत वितरण कम्पनी के अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण विद्युत विच्छेदन किया गया है, तो अधिग्रहण करने वाले उद्योग को बिना नवीन सिक्युरिटी डिपाजिट किये, विद्युत पुनर्संयोजन किया जा सकेगा।

5.6.2.8. अधिग्रहण दिनांक तक इकाई पर स्थानीय निकायों के बकाया, जैसे जल कर, चुंगी कर, सम्पत्ति कर इत्यादि का वास्तविक देयक का यदि एक मुश्त भुगतान अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में कर दिया जाता है, तो उस लगाई गई सम्पूर्ण ब्याज/शास्ति की राशि माफ कर दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.9. अधिग्रहित इकाई औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्र में स्थित हो तो अधिग्रहणकर्ता को इकाई पर लंबित भू-भाटक, संधारण प्रभार तथा जल प्रदाय शुल्क की वास्तविक देयक को एक मुश्त भुगतान तीन माह की अवधि में करने पर ब्याज/शास्ति से पूर्णतः मुक्ति दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि ब्याज/शास्ति सहित को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.10 अधिग्रहण करने से भूमि/भवन एवं अन्य आस्तियों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः छूट दी जावेगी।

5.6.2.11 अधिग्रहणकर्ता द्वारा नवीन अंशपूंजी के रूप में रुपये 10 करोड़ से अधिक का वेष्ठन किया जाता है तो इकाई को रुपये 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले मेगा प्रोजेक्ट को दी जाने वाली सुविधायें भी दिये जाने पर विचार किया जाएगा।

उक्त सुविधाओं को मात्र किसी इकाई के अधिग्रहण करने से या क्रय करने से स्वयं लागू नहीं माना जाएगा। इन सुविधाओं में से सुविधा विशेष या सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पॉलिसी पैकेज 1988 के अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, प्रकरण विशेष में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगी ।

5.7 राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का "पॉलिसी पैकेज 2004"

"प्रदेश स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के बीमार उद्योग, जिनके संबंध में प्रकरण बी.आई.एफ.आर. के समक्ष बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचलित हो एवं बी.आई.एफ.आर. द्वारा इन उद्योगों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जा रही हो, को पॉलिसी पैकेज 2004 के अंतर्गत सुविधायें दी जा सकेगी :–

5.7.1 निर्बाध रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा।

5.7.2 योजना स्वीकृति के दिनांक या स्वीकृत योजना में उल्लेखित 'कट ऑफ डेट' तक इकाई के बंद रहने की अवधि के लिए विद्युत वितरण कम्पनी के बकाया न्यूनतम मांग शुल्क एवं 'लो पावर फेक्टर' पेनाल्टी को माफ किया जाएगा।

5.7.3 पुनर्वास योजना की अवधि में यदि बीमार उद्योग अधिकतम 'कांट्रेक्ट डिमांड' को कम करना चाहे तो तदानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

5.7.4 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ली गयी 'सिक्यूरिटी डिपाजिट' वर्तमान बिलों में समायोजित की जा सकेगी तथा पुनर्वास अवधि के पश्चात् फिर से 'सिक्यूरिटी डिपाजिट' ली जाएगी।

5.7.5 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी, यदि कुल बकाया राशि का प्रथम अर्द्धवार्षिक किश्त संयोजन देने के पूर्व भुगतान कर दिया जाये।

5.7.6 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 'कट ऑफ डेट' तक या पुनर्वास योजना की स्वीकृति के दिनांक तक के विद्युत बिल के विलम्ब से भुगतान करने पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा लगाया जाने वाला पेनल चार्ज माफ किया जाएगा।

5.7.7 इकाईयों को उनके पास उपलब्ध अतिशेष भूमि बेचने/सब लीज पर देने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी, बशर्ते कि वह भूमि औद्योगिक क्षेत्र/ विकास केन्द्र में स्थित न हो। भूमि के उपयोग के आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की भी अनुमति दी जा सकेगी। इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि भूमि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि केवल पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए ही उपयोग में लाई जा सकेगी।

5.7.8 योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक करों का शासन द्वारा सूचित निर्णय से तीन माह की अवधि में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो वास्तविक अर्थात् Assesed Tax राशि जमा करने की सुविधा दी जाकर ब्याज/शास्ति पूर्णतः माफ किया जाएगा।

5.7.9 योजना की स्वीकृति के दिनांक या योजना में उल्लेखित 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक कर की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को योजना स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलंब होता है, तो उसपर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. की दर से ब्याज देना होगा।

बकाया वाणिज्यिक कर की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को किश्तों में भुगतान की सुविधा, इकाई द्वारा देय किश्तों की राशि पोस्ट डेटेड चेक्स के रूप में जमा करने तथा पब्लिक लि0 कंपनी के मामले में कार्पोरेट गारंटी एवं भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह पोस्ट डेटेड चेक्स कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मेनेजिंग पार्टनर (जो भी लागू हो) द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिये।

5.7.10 यदि इकाई द्वारा बकाया वाणिज्यिक कर का एक मुश्त भुगतान (उपरोक्त सुविधा क्रमांक 5.7.8 अनुसार) किया जाता है तो योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट ऑफ डेट' से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी।

5.7.11 इकाई की राज्य शासन से किसी विभाग/संस्था पर यदि कोई बकाया राशि हो तो उसकी वसूली के लिए बैंक गारंटी हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा।

5.7.12. इकाई को आवश्यकतानुसार पुनर्वास अवधि के लिए 'सहायता उपक्रम' घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त पैकेज में दर्शाई गई सुविधायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित बीमार उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों सम्बंधी गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर लिये जाने वाले निर्णय, जो कि "पॉलिसी पेकेज 2004" में उल्लेखित सुविधाओं की सीमा तक ही होगा, के अनुसार ही स्वीकृत होंगी।

पॉलिसी पैकेज 2004 के अतिरिक्त उद्योग के पुनर्वास के लिए किसी विशेष सहायता/सुविधा अपेक्षा यदि राज्य शासन से की जाती है तो उस सुविधा विशेष पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि यह सुविधा दी जाना योग्य पाई जाएगी तो समिति अपनी अनुशंसा संबंधित फोरम/समिति या मंत्रि परिषद के निर्णय के लिए अग्रेषित कर सकेगी।

5.8 बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना

(मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम)

5.8.1. लघु उद्योगों में अधिक संख्या में रुग्णता, शासन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक रूग्णता के कारण बेरोजगारी, राज्य व केन्द्र सरकार की राजस्व हानि, संस्थागत वित्त में अवरोध एवं अनुत्पादक संपत्ति वृद्धि आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। रुग्णता के मुख्य कारण अप्रचलित तकनीक, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कुप्रबंधन, पूंजी का व्यपवर्तन, उद्यमिता की कमी, व्यवसायिकता की कमी, विपणन समस्या आदि चिन्हित किये जा सकते है। औद्योगिक रूग्णता, विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए रुग्णता की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ठोस कदम उठाये जाना राज्य शासन व अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए आवश्यक है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत शासन द्वारा व्यवहार्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर–व्यवहार्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु 'सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स्) एक्ट, 1985' के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. नामक वैधानिक संस्था स्थापित की है परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा व्यवहार्य बीमार लघु उद्योग एवं नॉन–बी.आई.एफ.आर. व्यवहार्य बीमार उद्योगों के पुनःस्थापना के लिए योजनाएं प्रतिपादित की गयी है। मध्यप्रदेश में व्यवहार्य बीमार लघु एवं गैर बी.आई.एफ.आर. उद्योगों के पुर्नस्थापना के लिए 'मार्जिन मनी योजना' जो वर्ष 1981 से लागू है, के अतिरिक्त अन्य कोई योजना विद्यमान नहीं है। व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि लघु उद्योगों को रूग्णता से उबारने के लिए मार्जिन मनी योजना की अपनी सीमाएं हैं। अतः प्रदेश में बीमार लघु उद्योग एवं गैर–बी.आई.एफ.आर. इकाईयों के पुनःस्थापन के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश लघु श्रेणी उद्योग पुनर्जीवन योजना (MPSSIRS) नामक नवीन योजना निम्नानुसार लागू की जाती है।

5.8.2. **शीर्षक** (Title) – यह योजना 'मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम (MPSSIRS), कहलायेगी।

5.8.3. **कार्यरत अवधि** (Operation period) – यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

5.8.4 **प्रयोज्यता** (Applicability) – यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल सूक्ष्म, लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र) जिनके संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन रुपये 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यमों के लिए योजना लागू नहीं होगी।

5.8.5 परिभाषाएं (Definitions)

5.8.5.1 **बीमार इकाई (Sick Unit)** – कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई तब 'बीमार' समझी जावेगी यदि वित्तीय वर्ष 2002–03 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :–

अ— इकाई का कोई भी उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए निम्न स्तर पर बना रहे अर्थात् किसी भी उधारी लेखा के परिप्रेक्ष्य में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओवरड्यू बना रहे। यदि लेखा की वर्तमान स्थिति के निम्न स्तर पर होने के वर्गीकरण की स्थिति में ड्यूकोर्स में कमी भी होती है, तो भी ओवरड्यू अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता अपरिवर्तित बनी रहेगी।

या

इकाई के नेटवर्थ में क्षरण हुआ हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण एवं नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

एवं

ब— इकाई बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादनरत रही हो।

एवं

स— ऐसी इकाई न्यूनतम लगातर 18 माह से बंद रही हो। बंद होने का कारण विद्युत विच्छेदन या वणिज्यिक कर का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या अधिकार प्रदत्त समिति जिस कारण को उचित समझे।

द— लेखो का आशय उन अंकेक्षित लेखो से लिया जाएगा, जिसके संबंध में इकाई द्वारा रजिस्टार आफ कम्पनीज को सूचित किया गया हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित हो।

5.8.5..2 **नेटवर्थ** (NetWorth) —

लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय, पेडअप पूंजी तथा फ्री—रिर्जव के योग से है। भागीदारी/स्वामित्व इकाई के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय भागीदारों/ स्वामी की कुल पूंजी एवं फ्री—रिर्जव के योग से होगा।

5.8.5.3 **फ्री—रिजर्वस** (Free Reserves) —

फ्री—रिजर्व से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों अंतर्गत, आस्तियों के पुर्नमूल्याकंन तथा कम किये गये घसारा से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

5.8.5.4 **बैंक** (Bank) —

बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के द्वितीय शेड्यूल अनुसार शेड्यूल बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से है।

5.8.5.5 **वित्तीय संस्था** (Financial Institution) —

वित्तीय संस्था से आशय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम या अन्य संस्था से है जो किसी कानून अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्थायी पूंजी हेतु ऋण देने के लिए अधिकृत है।

5.8.5.6 **व्यवहार्य बीमार इकाई** (Viable sick unit) —

व्यवहार्य बीमार इकाई का आशय, उत्पादन क्षेत्र की ऐसी इकाई से है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी में रुपये 5.00 लाख से अधिक पूंजी वैष्ठन हो एवं जो पुनर्वास पैकेज (जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी), योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के पुनर्संरचित (Restructured) ऋण एवं ब्याज का पूर्णरुप से भुगतान करने के साथ–साथ राज्य शासन / केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल आदि को देय देनदारी का भी भुगतान, पैकेज के क्रियान्वयन अवधि के भीतर कर सके।

5.8.5.7 **भुगतान हेतु बकाया राशि** (Dues payable) –
भुगतान हेतु बकाया वह राशि जो समस्त वैधानिक संस्थाएं जैसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलेक्टर, कस्टमर् व सेन्ट्रल एक्साईज, आयुक्त, आयकर, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या अन्य संस्थाएं जिसे इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

5.8.5.8 **अप्रैजल ऐंजेंसी** (Appraisal Agency) –
ऐसी संस्था जो इकाई, वित्तीय संस्था / बैंक तथा पुनःस्थापन समिति की सहमति पश्चात जो बीमार इकाई की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु निर्धारित की जावे। यह संस्थाएं कंडिका 5.8.8.2 में उल्लेखित अनुसार होगी।

5.8.5.9 **राज्य सरकार** (State Government) –
इससे आशय मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

5.8.5.10 **विशेष प्रकोष्ठ** (Special Cell) –
इससे आशय उद्योग आयुक्त द्वारा योजना के संचालन के उद्देश्य से बनाये गये प्रकोष्ठ विशेष से हैं।

5.8.5.11 **मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल** (MPSEB) –
इससे आशय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों से है।

5.8.5.12 **पात्र आस्तियाँ** (Eligible Assets) –
से आशय उन आस्तियों से है, जो पुनर्वास पैकेज के स्वीकृत होने से दो वर्ष के अन्दर निर्मित हो तथा यह एम.पी. एस.एस.आई.आर.एस. द्वारा बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी वैष्ठन की सीमा तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आस्तियाँ, जो उक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त / निर्मित की गई हो और / या भुगतान किया गया हो, विचारणीय नहीं होगी।

5.8.5.13 **पात्र स्थायी पूंजी निवेश** (Eligible Fixed Capital Investment) –
इससे आशय उस पूंजी निवेश से है जो भूमि, नवीन भवन, अन्य स्थायी निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी तथा टेक्नीकल नो–हाउ फीस से लिया जाएगा।

अ. **भूमि** (Land) –

भूमि से आशय औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यकता अनुरूप भूमि हेतु, पुनर्वास योजना की अवधि में एवं पुनर्वास योजना के भाग के रूप में, विस्तार व आधुनिकीकरण को सम्मलित कर किन्तु भूमि के विकास पर हुए व्यय को छोड़कर, भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि है।

ब. **नवीन भवन** (New Building) –

से आशय शेष विस्तार व नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त संयंत्र व मशीनरी के व्यवस्थापन के लिए निर्मित अतिरिक्त भवन से है, जो पुनर्वास योजना की अवधि में एवं उसके एक भाग के रूप में निर्मित होगी।

स. **अन्य स्थायी निर्माण** (Other Permanent Construction) –

इससे आशय अन्य निर्माण कार्य जो संयंत्र व मशीनरी की स्थापना हेतु या अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आवश्यक है।

द. **प्लांट एवं मशीनरी** (Plant & Machinery) –

इससे आशय नवीन संयंत्र व मशीनरी तथा आयातित पुरानी मशीनरी एवं संयंत्र व मशीनरी के पूंजीगत स्थापना व्यय तथा निर्माणाधीन अवधि के समय पूंजीगत ब्याज जो कुल स्थायी पूंजी वैष्ठन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, के योग से है।

इ. **टेक्नीकल नो–हाउ फी** (Technical Know-how fee) –

इकाई के लिए तकनीकी ज्ञान हेतु दिया गया शुल्क या विदेशी प्रदायकर्ता को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रचलित नीति अनुसार अनुमोदित एक मुश्त शुल्क या राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया शुल्क है।

5.8.6. **राहतें** (Reliefs) –

जिन लघु उद्योग, सहायक उद्योग, गैर–बी.आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हो, उन्हें तदनुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी।

5.8.6.1 वित्तीय सहायता (Fiscal Reliefs) –

योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

5.8.6.1.1 **वाणिज्यिक कर विभाग** (Commercial Tax Department) –
इकाई को वणिज्यिक कर की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी।

5.8.6.1.2 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी –

योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निम्नानुसार राहतें प्रदान की जावेगीः–

अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार माफ किया जाएगा किंतु ऐसे प्रकरणों में जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, उसमें न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी।

ब. ऐसे प्रकरणों में जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो उस स्थिति में नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

स. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।

द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया राशि पर देय ब्याज माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज को माफ किया जाएगा।

ई. इकाई पर मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा लगाये गये पैनल चार्जेज की माफी दी जा सकेगी।

5.8.6.1.3 **वाणिज्य एवं उद्योग विभाग** (Commerce & Industry Department) –

अ. ऐसी लघु उद्योग इकाई जिसकी पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई हो यदि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्म लोन चाहती है तो उसे इस पर मध्यप्रदेश शासन की विद्यमान नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

ब. जो इकाईयां लगातार 3 वर्ष बंद रही हों उन्हे पुनर्वास दिनांक से नवीन इकाई की तरह सुविधायें दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त पूंजी विनियोजन किया जाता है तो उस पर पात्रतानुसार राज्य लागत पूंजी अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

5.8.6.1.4 **पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं का जारी रहना** (Continuation of Incentives sanctioned earlier) –

यह योजना उस बीमार इकाई के लिए भी लागू होगी जिसके प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो। पूर्व इकाई को स्वीकृत सुविधाएं शेष पात्रता अवधि हेतु पुनर्जीवित इकाई को भी प्राप्त हो सकेंगी।

5.8.6.1. 5 **अतिरिक्त राहत** (Additional Relief) –

उपरोक्त वित्तीय रियायतों के अतिरिक्त, इस योजना में संबंधित प्राधिकारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें देने की अनुशंसा की जा सकती है:–

अ. पुनर्जीवन योजना के लागू करने के फलस्वरूप पंजीकृत किये जाने वाले विभिन्न अनुबंधों पर 'स्टाम्प ड्यूटी 'से मुक्ति होगी।

ब. यह योजना सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित की जावेगी।

5.8.7. अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) –

मध्यप्रदेश शासन इस योजना अंतर्गत पुनर्जीवन पैकेज स्वीकृत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक अधिकार प्रदत्त समिति का गठन करता है –

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
3.	म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि जो संभागीय यंत्री स्तर से कम न हो	सदस्य
4.	अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक (L.D.M.)	सदस्य
5.	संबंधित बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	सिडबी के प्रतिनिधि (प्रकरण के सिडबी से संबंधित होने पर)	सदस्य
7.	मध्यप्रदेश वित्त निगम के प्रतिनिधि (प्रकरण के वित्त निगम से संबंधित होने पर)	सदस्य
8.	अप्राईजल एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक स्तर से कम न हो	सदस्य
10	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
11.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को भी सम्मलित कर सकते हैं। कोरम की पूर्ति के लिए उपस्थित सदस्य संख्या के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपस्थित होना आवश्यक होगा। यह समिति अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। समिति आवेदन प्राप्त होने से 90 दिवस में निर्णय लेगी। संबंधित आवेदक को निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाएगा।

समिति के सदस्य–सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वे, निश्चित समयावधि में बैठक आयोजित कर निर्णय करावें। यदि निर्णय निश्चित अवधि में न हो सके, तो उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को इस बाबत बैठक की तिथि के 15 दिवस में, स्पष्टीकरण दिया जाए।

5.8.8. **प्रक्रिया** (Procedure) –

5.8.8.1 (अ) **प्रारंभिक परीक्षण, प्रकरण की पात्रता**

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक विवेचना की जाएगी एवं समिति के समक्ष रखे जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण को पंजीबद्ध कर पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 कार्य दिवस में पूरी की जावेगी। आवेदन पत्र का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

(ब) **सदस्यों के मध्य परिचालनः–**

आवेदन के पंजीकरण के उपरांत समिति के सभी सदस्यों को पूर्ण आवेदन की प्रतियां उनके विभाग के अभिमत हेतु परिभ्रमित की जावेंगी। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के अभिमत के साथ समिति की बैठक में उपस्थित होना होगा। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के मत हेतु 15 दिवस में कार्यवाही करनी होगी। संबंधित सदस्यों के विचार एवं अन्य संबंधित मुददों पर, प्रकरण के पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

5.8.8.2 **अप्रैजल हेतु अधिकृत कंसलटेंट को संदर्भ :–**

आवेदक अपना आवेदन, जिसमें राज्य शासन से अपेक्षित सहायता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हो, का अप्रैजल आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कंसलटेन्टों या एम.पी. कॉन या मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र से कराना होगा, उक्त कंसलटेन्टों से यह स्पष्ट अनुशंसा करानी होगी कि इकाई का पुनर्जीविकरण संभव है अथवा नहीं ? कंसलटेन्ट से प्रेतिवेदित योजना/प्रस्ताव आवेदक को अपने आवेदन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिसमें अन्य सम्बंधित समस्याओं यथा बैंकों/वित्तीय संस्था आदि से प्राप्त किये जाने वाली सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख/सहमति दर्शायी गयी हो।

5.8.8.3 आवेदन शुल्क (Application fee) :– रुपये 1,000/– मात्र ।

5.8.8.4 **अधिकार प्रदत्त समिति के सदस्यों के मध्य परिचालन** (Circulation amongst the members of the Special Cell) :–

अधिकार प्रदत्त समिति का कार्यालय, अप्रेजल एजेंसी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा एवं निश्चित करेगा कि यह योजना में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही है। तत्पश्चात इस समिति के सदस्यों के मध्य इसका परिचालन किया जाएगा।

5.8.8.5 **संबंधित एजेन्सियों के द्वारा स्वीकृतियां** (Sanctions by the concerned agencies):–

समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर संबंधित संस्थाएं रियायतों एवं सुविधाओं/परित्यागों पर अपनी सहमति 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान करेंगे। इस समय सीमा में यदि वे अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें समिति को तदनुसार सूचित करना चाहिये एवं इस हेतु उन्हें राहतें एवं सुविधाऐं नहीं देने के संबंध में सशक्त कारण देने होंगे।

अधिकारप्रदत्त समिति का निर्णय राज्य शासन के सभी विभागों पर बंधनकारी होगा फिर भी यदि कोई विभाग किसी निर्णय पर पुर्नविचार कराना चाहे तो उसे तदाशय का प्रस्ताव सीधे वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

5.8.8.6 **म.प्र. लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना अंतर्गत स्वीकृति** (Sanction under MPSSIRS)

उपरोक्त 30 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने पर अधिकारप्रदत्त समिति बैठक में इकाई के प्रकरण पर विचार कर पुनर्जीवन पैकेज पर अन्तिम निर्णय लेगी।

5.8.8.7 **आदेश जारी करने हेतु समय–सीमा का निर्धारण** (Time frame for issuance of orders) :–

बीमार इकाई के पुनर्जीवन कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य शासन के संबंधित विभाग एवं अन्य संस्थाएं बीमार इकाई को विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारप्रदत्त समिति के निर्णयानुसार राहतें स्वीकृत करेंगी। समिति के बैटक के कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इकाई को स्वीकृत राहतें/सुविधाओं संबंधी अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में स्वमेव स्वीकृति दी गई, ऐसा मान्य किया जाएगा।

5.8.8.8 **वित्तीय परित्याग का परिमाण** (Quantum of Financial Sacrifice) :–
पुनर्जीवन पैकेज का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि राज्य शासन/ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय परित्याग की राशि, वित्तीय संस्था/बैंक के द्वारा किये जाने वाले वित्तीय परित्याग से अधिक नहीं हो । यह शर्त उस इकाई के प्रकरण में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा राज्य शासन को वर्तमान पैकेज में सहायता के लिये अनुरोध किये जाने के दिनांक तक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो। वित्तीय परित्याग की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगा :–

– इकाई को. राहत/किश्तों में एरियर भुगतान की सुविधा, राज्य शासन 12 प्रतिशत ब्याज दर पर देगी। राज्य शासन साधारणतः एरियर्स की वसूली

दाण्डिक ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर करती है अतःदोनों ब्याज दरों में अन्तर अर्थात 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर राज्य शासन की ओर से वित्तीय त्याग माना जाएगा ।

– मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राहत एवं छूट मुक्ति के रूप में होगी जैसे कि जिस प्रकरण में विद्युत विच्छेद बिलों की अदायगी न करने के कारण अथवा एक तरफा अनुबंध के विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण नवीन सुरक्षा राशि जमा करने से एवं बन्द अवधि के न्यूनतम प्रभार से छूट रहेगी ।

– ऐसे प्रकरणों में मुक्ति सुविधा के रूप में दी जा रही सुरक्षा जमा राशि/न्यूनतम प्रभार का कुल योग एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जिसकी गणना जमा राशि के भुगतान दिनांक से पुर्नजीवन पैकेज के निष्कासन दिनांक तक होगी, को परित्याग की राशि माना जाएगा ।

5.8.8.9 **राहत देने हेतु शर्तें एवं निबंधन** (Terms and Conditions for Grant of Relief):–

अ. अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली इकाई की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी, जो वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त होगी। पुनर्जीवन अवधि में इकाई को अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से लेखा परीक्षण कराना होगा। ऐसी इकाईयां जो इस योजनान्तर्गत राहत प्राप्त करेंगी, वे न तो डिवीडेण्ड घोषित करेंगी और न ही पुनर्जीवन पैकेज के कार्यकाल में प्रमोटर्स द्वारा जमा किये गये राशि पर कोई ब्याज ही देंगी।

ब. इस योजनान्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रही औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियन्त्रण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित मापदण्ड अनुसार प्रभावी कदम लेंगे एवं इसका संचालन चालू हालत में बनाये रखेंगे।

स. औद्योगिक इकाई को कम से कम योजनान्तर्गत दी गई पुनर्जीवन अवधि के समाप्त होने तक लगातार उत्पादनरत रहना होगा।

द. औद्योगिक इकाई राज्य शासन द्वारा एवं अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा समय–समय पर चाहे जाने पर अपने उत्पादन, रोजगार एवं अन्य जानकारी के विस्तृत विवरण उपलब्ध करायेगी।

———

5.9 दीनदयाल रोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने एवं सहायता करने के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लाभांवित किया जा रहा है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत रु. 40 हजार वार्षिक आय से अधिक के परिवार के बेरोजगार युवक युवतियों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार विभिन्न निगमों की स्वरोजगार योजनाओं में विशिष्ट वर्ग अथवा आय के हितग्राहियों को ही लाभ प्राप्त होता है। उक्त सभी योजनाओं की पात्रता सामान्यतः शहरी एवं ग्रामीण गरीबी रेखा की आय से जुडी हुई है। जबकि प्रदेश में मध्यम आय वर्ग के परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को दो वर्ष तक रु. 300/– प्रतिमाह की दर से कुल रु. 7200/– बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना से युवाओं को तात्कालिक आय तो प्राप्त हो जाती है परन्तु उससे न तो स्वरोजगार स्थापित होता है और न ही इस ओर प्रेरित किया जाना सम्भव होता है।

अतः उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में संभावनापूर्ण उद्यमियों के एक बहुत बडे वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां जो मध्यम आय वर्ग के परिवार के सदस्य हैं एवं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में निर्धारित आय सीमा से अधिक आय होने के एकमात्र कारण से पात्रता नही रखते हैं, को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित करने के लिए दीनदयाल रोजगार योजना के नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की जाने हेतु राज्य शासन स्तर से पहल की जावे।

योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के विरुद्ध अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा करने में सहायता करना है।

5.9.1 दीनदयाल रोजगार योजना का स्वरूप

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
1	योजना का नाम	दीनदयाल रोजगार योजना
2	योजना का प्रारंभ	वर्ष 2004–05 में योजना प्रारंभ करने की घोषणा दिनांक से।
3	योजना का उद्देश्य	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाईयों/गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।
4	पात्रता	1 मूल निवासीः– मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। 2 आयुः– आवेदन दिनांक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो । 3 न्यूनतम शैक्षणिक 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आई.टी.आई.

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		योग्यता:– उत्तीर्ण हो। 4 आय :– आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.50 लाख से अधिक नहीं हो। टीप: परिवार से आशय आवेदक/आवेदिका के पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चे अथवा आवेदक/आवेदिका के अविवाहित होने पर उसके माता–पिता एवं अविवाहित भाई–बहन से है। 5 रोजगार कार्यालय में पंजीयन:– शिक्षित बेरोजगार जिसका रोजगार कार्यालय में आवेदन दिनांक को जीवित पंजीयन हो।
5	सहायता	हितग्राही को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी :– उद्योग क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 40,000/–। सेवा क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15000/–। व्यवसाय क्षेत्र– स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु. 7500/–। टीप:– (1) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रुपये 1 लाख तक की स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500/– तक की मार्जिन मनी की पात्रता होगी। (2) योजनांतर्गत मार्जिन मनी की कुल सहायता राशि, हितग्राही द्वारा लगाई जा रही कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । (3) ऐसे आवेदकों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे अधिक हो, उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमशः रु. 50,000/– एवं रु. 25,000/– तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी।
6	प्राथमिकता–	1 आईटीआई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक। 2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 3. महिला आवेदनकर्ता। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
7	पात्र गतिविधिया	उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम/गतिविधिया। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वे गतिविधियाँ मान्य होगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत/मान्य की गयी हो।

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
8	आवेदन प्रक्रिया	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।
9	आवेदन पंजीबद्ध करना	सभी आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध किया जाएगा। आवेदन पत्र पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी हितग्राही को दी जावेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कराने की कार्यवाही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर की जावेगी। आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधियों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल / योजना की प्रति भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
10	आवेदन पत्र बैक प्रेषित करना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति के अनुमोदन के पश्चात आवेदन संबंधित बैंक (यथा संभव हितग्राही की इच्छा के अनुरूप) को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किए जावेगे तथा बैंक को योजनांतर्गत मार्जिन मनी की पात्रता के संबंध में अवगत. कराया जाएगा। इसकी सूचना हितग्राही को दी जावेगी 30 कार्य दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी जावेगी।
11	मार्जिन मनी	बैंक से ऋण स्वीकृति एवं हितग्राही द्वारा जमा की गयी मार्जिन मनी राशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मार्जिन मनी की राशि बैंक को 10 कार्यदिवस में उपलब्ध कराई जावेगी।
12	**जिला स्तर पर समिति** **अ.** मार्जिन मनी अनुमोदन/ स्वीकृति हेतु अधिकृत समिति **ब.** समीक्षा हेतु समिति	**अ.** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत गठित टास्कफोर्स समिति प्रकरण अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी । **ब.** यह समिति जिलों में योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सतत् समीक्षा करेगी जिसमें बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना की समीक्षा/हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन देना एवं समिति के विचारार्थ जो विषय प्रस्तुत होगें उन पर समुचित विचार कर निराकरण करेगी। 1 कलेक्टर — अध्यक्ष 2 जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक — सदस्य 3 तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि – — सदस्य 4 सेडमेप एवं एम.पी.कॉन– जिला प्रतिनिधि — सदस्य 5 एस.आई.एस.आई के प्रतिनिधि — सदस्य 6 जिला महिला बाल विकास अधिकारी — सदस्य

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		7 जिला रोजगार अधिकारी — सदस्य 8 पॉलिटेक्निक कालेज एवं आईटीआई के प्रतिनिधि — सदस्य 9 महाप्रबंधक — सदस्य सचिव टीप– आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में बुला सकेंगे।
13	प्रशिक्षण	योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी स्वीकृति के पश्चात हितग्राही को 10–15 दिवस प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र या सेडमेप या एमपीकॉन द्वारा दिया जाएगा। योजनान्तर्गत एक साथ पर्याप्त संख्या में हितग्राही उपलब्ध नही होने पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अर्न्तगत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हितग्राहीयों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्कता नहीं होगी।
14	बजट प्रावधान	योजनान्तर्गत बजट प्रावधान में से न्यूनतम 90 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी हेतु उपयोग की जावेगी, शेष राशि अधिकतम 10 प्रतिशत में से योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर संगोष्ठि एवं आकस्मिक व्यय आदि में उपयोग की जा सकेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के प्रशिक्षण संबंधी व्यय प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत प्रशिक्षण मद में ही वहन होगा।
15	मार्जिन मनी का वितरण एवं समायोजन	योजना अन्तर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार बैंक ऋण वितरण एवं हितग्राही के अंश की मार्जिन मनी राशि जमा करने के पश्चात ही अनुदान के रूप में समायोजित हो सकेगी। यदि हितग्राही के अंश की जमा की गयी मार्जिन मनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि के 50 प्रतिशत से कम हुई तो उसी अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी राशि समायोजित हो सकेगी।
16	विविध	1. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित, स्वीकृत, मार्जिन मनी से स्वरोजगार प्रारंभ इकाईयों की समीक्षा आवश्यक रूप से की जावेगी। 2. योजनांतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर भी विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मान्य नहीं होगी 3. अन्य किसी योजना (जैसे खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन राशि योजना) से मार्जिन मनी सहायता का लाभ प्राप्त कर चुके/कर रहे हितग्राही इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के केवल रु. 1.00 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृति पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा परन्तु प्रधानमंत्री रोजगार

क्र	योजना के बिन्दु	विवरण
		योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान व इस योजनांतर्गत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लगाई जा रही है, मार्जिन मनी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 5. औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग से नियमानुसार अन्य सुविधायें भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी। 6. लागत पूंजी अनुदान की पात्रता की स्थिति में कुल अनुदान राशि में से उपलब्ध कराई गयी मार्जिन मनी सहायता राशि को कम करने के पश्चात शेष राशि ही अनुदान के रूप में दी जावेगी। 7. बैंकों से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से है। 8. किसी बैंक का/उद्योग विभाग की देयताओं का डिफाल्टर होने की स्थिति में हितग्राही को योजनान्तर्गत पात्रता नहीं होगी। 9. बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जाने की स्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी की राशि अन्य हितग्राही के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। 10. गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से मार्जिन मनी प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी। 11 योजना अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता प्राप्त उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मार्जिन मनी राशि के दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की बकाया की तहत मार्जिन मनी राशि वसूल की जा सकेगी तथा विधि सम्मत अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 12. योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा। 13. जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रकरण संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में समीक्षा हेतु रखे जाएंगे।

5.9.2 दीनदयाल रोजगार योजना हेतु आवेदन सहशपथपत्र

1	आवेदक का पूरा नाम	फोटो
2	पिता/पति का नाम	
3	अ. निवास स्थान का पता एवं दूरभाष क्रमांक ब. पत्राचार का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक	
4	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
5	अ. जन्म तारीख ब. आवेदन दिनांक को उम्र	
6	आवेदक का वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक/सामान्य	
7	रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक	
8	मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें	
9	प्रस्तावित उद्योग, सेवा, व्यवसाय का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करना है)	
10	(अ) आवश्यक प्रस्तावित ऋण स्थाई कार्यशील अन्य	(ब) आवश्यक मार्जिन मनी राशि स्वयं द्वारा योजनांर्तगत वांछित
11	गतिविधि के प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पता	
12	प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहॉ हितग्राही अपना प्रकरण भेजना चाहता हो	अ. ब. स.
13	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
14	तकनीकी अनुभव (यदि कोई हो)	
15	पूर्व में शासन की किसी योजना का लाभ लिया हो तो उसका पूर्ण विवरण।	
16	शासन की किसी अन्य योजना से भी लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु 1 से 16 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

5.10 उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए पैकेज

उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना में लघु उद्योगों हेतु निम्नानुसार वित्तीय सहायता, करों में छूट, रियायती दरों पर भूमि, प्रब्याजी में छूट, अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि के प्रावधान किये गये हैं :–

5.10.1 वित्तीय सहायता एवं अनुदान:–

5.10.1.1 **टर्म लोन पर ब्याज अनुदान**– राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को 5 से 7 वर्षों तक पिछड़ा 'अ' जिले में 3 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख, पिछड़ा 'ब' जिले में 4 प्रतिशत अधिकतम रुपये 15 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिले में 5 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20 लाख ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

5.10.1.2 **स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान**– नवीन स्थापित लघु उद्योगों को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से पिछड़ा 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के जिलों में अधिकतम राशि क्रमशः 5.00 लाख, 10.00 लाख एवं 15.00 लाख, जो भी कम हो, पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा।

5.10.1.3 **अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों के लिए अग्रणी जिलों में भी विशेष अनुदान–**

- अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के, 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
- अग्रणी जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 लाख निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा पिछड़ा अ, ब, स श्रेणी के जिलों में क्रमशः 6.00 लाख, 12.00 लाख एवं 17.50 लाख होगी।

5.10.1.4 **परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति**– उद्योगों की स्थापना हेतु तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन पर हुये व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति लघु उद्योगों के लिए एक प्रतिशत की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 3.00 लाख होगी।

5.10.1.5 **आई.एस.ओ. 9000 व्यय की प्रतिपूर्ति–** औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्राप्त आई.एस.ओ 9000/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अथवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.10.1.6 पेटेन्ट व्यय की प्रतिपूर्ति— उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये दो लाख की सीमा तक की जाएगी।

5.10.1.7 थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता (विशेष स्थायी पूंजी निवेश अनुदान)-- 50.00 लाख से अधिक स्थायी पूंजी वेष्टन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालाजी, आटोमोबाइल, फार्मास्यूटीकल एण्ड हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि पर आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में लाया जाएगा तथा इन्हें विशेष पूंजी निवेश अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश के 25 प्रतिशत की दर से, अधिकतम राशि पिछड़ा अ, ब, स श्रेणी के जिलों में क्रमशः 10.00 लाख, 15.00 लाख, 25.00 लाख, जो भी कम हो, दिया जाएगा।

5.10.1.8 एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

5.10.1.9 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण यथा एफपीओ, एगमार्क, बीआईएस, यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने हेतु अधिकतम रुपये एक लाख तक की प्रतिपूर्ति।

5.10.1.10 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुसंधान एवं शोध कार्य हेतु अधिकतम रु. एक लाख तक की प्रतिपूर्ति।

5.10.1.11 औषधि उद्योगों को **'गुड मेन्यूफेक्चरिंग प्रैक्टीसेस' प्रमाणन** प्राप्त करने हेतु व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.00 लाख की आंशिक प्रतिपूर्ति।

5.10.1.12 हर्बल आधारित उद्योगों को उत्पादों के निर्यात करने हेतु लगने वाले पंजीयन शुल्क में 25 प्रतिशत तक आंशिक प्रतिपूर्ति।

5.10.1.13 हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलों में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी "अ" की तरह ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान, प्रदान किया जाएगा।

5.10.2 करों / शुल्कों में छूट

5.10.2.1 प्रवेश कर में प्रथम कच्चे माल क्रय दिनांक से 5 वर्ष हेतु छूट।

5.10.2.2 पिछड़ा जिला श्रेणी 'ब' एवं 'स' में तथा उद्योग विहीन विकास खण्ड मे लोन डाक्युमेन्टेशन हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट।

5.10.2.3 औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि हेतु निष्पादित पट्टाभिलेख पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रब्याजी की दर पर लिया जाएगा।

5.10.2.4 लघु उद्योगों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादित विद्युत के लिए स्थापित केप्टिव पॉवर संयंत्र को 5 वर्ष तक विद्युत ड्यूटी में छूट।

5.10.2.5 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चे माल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश में मण्डी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5.10.2.6 (विलोपित)

5.10.2.7 फूड पार्कस् में स्थापित होने वाली प्रथम 10 इकाईयों को एवं स्टोन पार्क में स्थापित होने वाली प्रथम 5 इकाईयों को भूमि प्रब्याजी में 50% की रियायत एवं स्टोन पार्क की अगली 5 इकाईयों को भूमि प्रब्याजी में 25% की छूट।

5.10.2.8 फूड पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को कच्चे माल के रूप में क्रय किये जाने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क से मुक्ति।

5.10.2.9 फूड पार्क में स्थापित कच्चे माल के रूप में क्रय पर लिये गये विक्रय कर को उत्पादित वस्तु के विक्रय कर में समायोजित कर इकाई द्वारा दिये जाने वाले टैक्स में छूट दी जाएगी।

5.10.2.10 हर्बल व आयुर्वेद आधारित उद्योगों को फर्म के नाम परिवर्तन, पार्टनर जोड़ने, कोलेब्रेशन करने, पुनर्गठन करने लीजडीड में संशोधन होने पर लगने वाली स्टाम्प व पंचायत शुल्क तथा ऋण लेने हेतु वित्तीय संस्थाओं से अनुबंध करने हेतु लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 3 वर्ष के लिये छूट दी जाएगी।

5.10.2.11 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग एवं व्यवसाय पर अधिरोपित वाणिज्यिक कर की दरों का अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों में प्रचलित दरों के समतुल्य युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

5.10.2.12 आटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल जैसे स्टील पर अधिरोपित प्रवेश कर की दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

5.10.3 अधोसंरचनात्मक सुविधायें :-

5.10.3.1 औद्योगिक क्षेत्रों एवं ग्रोथ सेंटर्स में लघु उद्योगों को रियायती दरों पर भूमि एवं शेड।

5.10.3.2 प्रदेश में इन्दौर एवं जबलपुर में एपेरल पार्क की स्थापना की जावेगी एवं इन स्थानों पर गारमेन्ट काम्पलेक्स भी विकसित किये जाएंगे। एपेरल पार्क/गारमेन्ट काम्पलेक्स मे स्थापित होनेवाली इकाईयों को औद्योगिक नीति 2004 में उल्लेखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

5.10.3.3 इण्डस्ट्रियल पार्क जैसे स्टोन पार्क कटनी, रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स जबलपुर एवं इन्दौर तथा क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर में उत्कृष्ट किस्म की अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

5.10.3.4 लघु उद्योगों हेतु प्रदेश में 9 स्थानों पर एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC) का निर्माण।

5.10.3.5 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु निमरानी, जिला खरगौन, जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर, बाबई–पिपरिया, जिला होशंगाबाद, बोरगांव जिला छिंदवाड़ा, मनेरी, जिला मण्डला, मालनपुर, जिला भिण्ड में फूड पार्क विकसित किये जा रहें हैं, जिनमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, मिल्क चिलिंग प्लांट, टेस्टिंग लेब एवं एफ्ल्यूएेंट ट्रीटमेंट प्लांट के साथ अन्य आवश्यक औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हो सके।

प्रदेश में छः कृषि उत्पादों यथा आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, मैथी एवं गेहूं पर आधारित उद्योगों को भारत शासन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन योजना (AEZ) के तहत चिन्हित जिलों में प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.10.4 अन्य :–

5.10.4.1 लघु उद्योगों को भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत खरीदी में प्राथमिकता।

5.10.4.2 अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों को वर्तमान व्यवस्था में पूरा लाभ न मिल पाने के कारण इस वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादक इकाईयों को शासकीय खरीदी कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

5.10.4.3 एम.पी. स्टोर पर्चेस रूल्स के अंतर्गत खरीदी हेतु प्रदेश की औषधि उत्पादन की लघु उद्योग इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.10.4.4 प्रदेश के निर्यातक लघु उद्योगों को विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रोत्साहन।

5.10.4.5 औषधि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान।

5.10.4.6 कच्चा माल, विपणन, अधोसंरचनात्मक सहयोग तथा Backward & Forward Linkage निर्मित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर्स का विकास।

5.10.4.7 पावरलूम क्षेत्र में आधुनिकीकरण को गति प्रदान करने हेतु असंगठित पावरलूम बुनकर इकाईयों हेतु भारत सरकार की ग्रुप शेड योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता से बुरहानपुर, इन्दौर एवं उज्जैन में आधुनिक पावरलूम क्लस्टर स्थापित किये जावेगें।

5.10.4.8 पावरलूम, रेडीमेड वस्त्र एवं निटवीयर उद्योग तथा उनकी आनुषांगिक इकाइयों को उनके कार्य को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारण की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए खण्ड दर (पीस दर) के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने हेतु श्रम कानूनों से मुक्त रखा जाएगा।

5.10.4.9 मध्यम आय वर्ग के लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता हेतु दीनदयाल रोजगार योजना का प्रारंभ।

5.10.4.10 प्रदेश की बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन हेतु "मध्यप्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम" के तहत सहायता दी जाएगी।

5.11 बॉयोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए विशेष पैकेज

बॉयोटेक्नोलॉजी इकाईयों को, अन्य औद्योगिक इकाईयों के समान वे समस्त अनुदान/सहायता सामान्य रूप में प्राप्त होंगी, जो उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना में उल्लेखित हैं। बॉयोटेक्नोलॉजी इकाईयों के अंतर्गत कौन–कौन से उत्पाद सम्मिलित होंगे, इसका निर्धारण राज्य शासन के बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में बॉयोटेक्नोलॉजी इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए, निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध होंगी :–

(1) बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में बॉयोटेक्नोलॉजी इकाईयो के लिये अनुमति योग्य फ्लोर स्पेस इण्डेक्स दोगुना रहेगा।

(2) बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में कुल आवंटित क्षेत्र के न्यूनतम 60 प्रतिशत का उपयोग बॉयोटेक्नोलॉजी ऑपरेशन्स के लिये एवं शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग सहायक प्रयोजन एवं सपोर्ट सेवाओं के लिये उपयोग किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा 500 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिये जाने पर, भूमि प्रब्याजी में 50 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी।

(4) बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में भू–खण्ड के न्यूनतम 1000 वर्गफीट होने पर प्रथम 3 वर्ष के लिये लीजरेंट में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

(5) बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में उद्योगों को 20 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 20.00 लाख होगी। रूपये 5.00 करोड़ से अधिक पूंजी वैष्ठन से स्थापित होने वाली इकाईयों को 15 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 150.00 लाख होगी।

(6) बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में उद्योगों को किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था अथवा बैंक से टर्मलोन लेने पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। जो रूपये 20.00 लाख प्रतिवर्ष तक सीमित होगी।

(7) बॉयोटेक्नोलॉजी इकाईयों को प्राथमिक अवस्था में शासन द्वारा वित्तीय सहयोग करने की दृष्टि से, निजी भागीदारी से, रूपये 100 करोड़ के वेंचर केपिटल फंड की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(8) ड्रग कंट्रोलर कार्यालय, डब्ल्यु.एच.ओ. द्वारा, आडिट किये जाने एवं बाद में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ड्रग कंट्रोल आडिट किये जाने पर, प्रमाणीकरण एवं आडिट पर हुये व्यय पर 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये एक लाख दिया जायेगा।

––0––